



2026: AHC: 33511-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 219 वर्ष 2025

प्रतिवेदन हेतु अनुमोदित

सुरक्षित दिनांक: 18.11.2025

निर्णय उद्घोषित दिनांक: 16.02.2026

डॉ. दीपन्विता सिंह रॉय

.....अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी के अधिवक्ता

: शिव बाबू सिंह, शिवेंदु ओझा, सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ

अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल, अमित सिन्हा, अनंत

कुमार तिवारी, आशीष कुमार श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान

(माननीय न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव द्वारा उद्घोषित)

1. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे (जिनके साथ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता मो. यासीन उपस्थित रहे), प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनंत कुमार तिवारी, प्रत्यर्थी-बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित सिन्हा तथा निजी प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. वर्तमान अपील, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 4884 वर्ष 2024 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18.02.2025 के विरुद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जो विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट-ए संख्या 4884 वर्ष 2024 में याची थी।
3. रिट याचिका में अपीलार्थी का मामला यह था कि अपीलार्थी को आरंभ में आदेश दिनांक 27.02.2009 के माध्यम से पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में सहायक आचार्य (कल्थक) के रूप में नियुक्त किया गया था (नियुक्ति पत्र का अंग्रेजी अनुवाद रिट याचिका के साथ संलग्न है)। नियुक्ति पत्र यह दर्शाता है कि जिस पद पर अपीलार्थी को नियुक्त किया गया था, वह पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के नृत्य विभाग में प्रवक्ता का पद था। अपीलार्थी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (जिसे इसके पश्चात 'बी.एच.यू.' कहा गया है) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 07/2014-15, जिसके तहत पद कोड संख्या 2730 वाले सह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आचार्य (नृत्य) के पद सहित विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, के अनुसरण में सह आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया।

4. चयन प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत, उप कुलसचिव (भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ) द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 03.10.2015 के माध्यम से याची को सह आचार्य (नृत्य) के रूप में चयनित किया गया। उक्त नियुक्ति आदेश के अनुसरण में, अपीलार्थी ने नृत्य विभाग, मंच कला संकाय, बी.एच.यू., वाराणसी में सह आचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर थी। तत्पश्चात, उप कुलसचिव (प्रशासन-शिक्षण) के आदेश दिनांक 22.02.2017 द्वारा अपीलार्थी को सह आचार्य के रूप में संपुष्ट किया गया।
5. सह आचार्य के रूप में कार्य करने के दौरान, सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.11.2019 के माध्यम से अपीलार्थी को चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नृत्य विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वर्तमान में, अपीलार्थी शैक्षणिक स्तर-13ए में सह आचार्य के रूप में कार्यरत हैं।
6. दिनांक 01.09.2023 को, बी.एच.यू. के उप कुलसचिव द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें आचार्य (शैक्षणिक स्तर-14) के पद पर पदोन्नति सहित विभिन्न शैक्षणिक स्तरों में 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत पदोन्नति पर विचार किए जाने हेतु दिनांक 30.09.2023 तक या उससे पूर्व आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. अर्ह (पात्र) होने के कारण, अपीलार्थी ने उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में विहित प्रारूप में आवेदन किया। आवश्यक प्रक्रिया के उपरांत, अपीलार्थी से दिनांक 04.01.2024 को चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। अपीलार्थी उक्त तिथि को चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुई।
8. रिट याचिका में किए गए अभिकथनों के अनुसार, बी.एच.यू. में पिछले लगभग दो वर्षों से कोई कार्यपरिषद अस्तित्व में नहीं है, जिसके कारण कुलपति अपने स्तर पर ही चयन समिति की अनुशंसाओं पर आदेश पारित करते रहे हैं।
9. चयन समिति के गठन, जिसमें विचाराधीन विषय के लिए बाहरी विशेषज्ञ शामिल नहीं थे, से व्यथित होकर अपीलार्थी ने दिनांक 01.03.2024 को बी.एच.यू. के कुलपति के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
10. रिट याचिका में प्रस्तुत मामले के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 6 - डॉ. विधि नागर को विज्ञापन संख्या 2/2005-06 के अनुसरण में नियुक्ति आदेश दिनांक 02.11.2006 द्वारा प्रवक्ता, नृत्य (कथक) के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, विज्ञापन संख्या 07/2014-15 के अनुसरण में आदेश दिनांक 30.09.2015 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6 को पद कोड-2730 वाले पद के संबंध में सह आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया।
11. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6, दोनों ही कथक नृत्य की विधा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 की योग्यताएं और अनुभव कथक नृत्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की विशेषज्ञता में हैं। अपीलार्थी के मामले के अनुसार, न तो अपीलार्थी और न ही प्रत्यर्थी संख्या 6 के पास भरतनाट्यम में कोई शैक्षणिक योग्यता या अनुभव है।

12. रिट याचिका में अपीलार्थी द्वारा चयन समिति के गठन को नीचे दिए गए तीन आधारों पर चुनौती दी गई है:-

(i) कार्यपरिषद के अभाव में, कुलपति को चयन समिति का गठन करने और विषय विशेषज्ञों को नामित करने का कोई अधिकार नहीं था, जिन्हें बी.एच.यू. के प्रथम परिनियम के परिनियम 27 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार केवल कार्यपरिषद द्वारा ही नामित किया जा सकता है।

(ii) जिस पद पर चयन किया जाना था, वह नृत्य विभाग में कथक विषय का था, जबकि कुलपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ कथक के क्षेत्र के नहीं थे।

(iii) प्रत्यर्थी संख्या 6 स्वयं 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत आचार्य स्तर-14 के चयन हेतु एक आवेदक थी और उन बाहरी विशेषज्ञों के नामों को अग्रेषित करने में शामिल थी, जिन्होंने चयन कार्यवाही में भाग लिया था, और इस प्रकार, चयन कार्यवाही पक्षपात के सिद्धांत के आधार पर दूषित है।

13. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी ने रिट याचिका में निम्नलिखित अनुतोष की याचना की:-

"(i) उपयुक्त प्रकृति की एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए जो प्रत्यर्थी को बनारस

हिंदू विश्वविद्यालय के मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में आचार्य (शैक्षणिक स्तर - 14)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के रूप में पदोन्नति हेतु दिनांक 04.01.2024 को हुई चयन समिति की बैठक की अनुशंसाओं को प्रस्तुत करने का समादेश दे और उन्हें अभिखंडित (रद्द) करे।

(ii) उपयुक्त प्रकृति की एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए जो प्रत्यर्थी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में आचार्य (शैक्षणिक स्तर-14) के रूप में पदोन्नति हेतु दिनांक 04.01.2024 को हुई चयन समिति की बैठक की अनुशंसाओं के अनुसरण में कोई भी कार्यवाही करने से अवरुद्ध (प्रतिषिद्ध) करे।

(iii) उपयुक्त प्रकृति की एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए जो प्रत्यर्थी को इस माननीय न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर कथक नृत्य के विषय/क्षेत्र में बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करने के पश्चात् याची की आचार्य (शैक्षणिक स्तर-14) के रूप में पदोन्नति पर विचार करने हेतु चयन समिति की बैठक पुनः आहूत करने का समादेश दे।

(iv) ऐसी प्रकृति की एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत समझे।

(v) विनीत याची को इस संपूर्ण वर्तमान रिट याचिका का वाद-व्यय (खर्चा) दिलाया जाए।"

14. बी.एच.यू. द्वारा रिट याचिका में किए गए अभिकथनों से इनकार करते हुए एक प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया गया है कि बी.एच.यू. के मंच कला संकाय के नृत्य विभाग के बाहरी विषय विशेषज्ञों की सूची प्रत्यर्थी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 6 द्वारा विभागाध्यक्ष की हैसियत से अग्रेषित की गई है। यह कथन किया गया है कि नृत्य विभाग की 'विभागीय नीति योजना समिति' (जिसे इसके पश्चात 'डी.पी.पी.सी.' कहा गया है) ने दिनांक 17.07.2023 को आयोजित अपनी बैठक में बाहरी विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार की थी, जिसमें अपीलार्थी विश्राम अवकाश (सब्बाटिकल अवकाश) के कारण उपस्थित नहीं थी। इसमें आगे यह कथन किया गया है कि डी.पी.पी.सी. अनुभव के आधार पर चयन समिति को सदस्यों के पैनल की एक सूची प्रस्तुत करती है। प्रत्यर्थी संख्या 6 विभागाध्यक्ष थी और अपीलार्थी सहित अन्य लोग डी.पी.पी.सी. के सदस्य हैं। चूंकि, अपीलार्थी विश्राम अवकाश पर थी, इसलिए वह बैठक में उपस्थित नहीं हुई।

15. विभागाध्यक्ष होने के नाते, प्रत्यर्थी संख्या 6 ने डी.पी.पी.सी. के अध्यक्ष की हैसियत से पैनल को आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु संकायाध्यक्ष को अग्रेषित कर दिया।
16. यह कथन किया गया है कि उक्त विशेषज्ञों के पैनल की सूची डी.पी.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें आगे यह कथन किया गया है कि जिस 'विषय/क्षेत्र' के लिए चयन समिति की बैठक दिनांक 04.01.2024 को हुई थी, वह नृत्य का 'विषय/क्षेत्र' था, न कि विशेष रूप से भरतनाट्यम, कथक या कोई अन्य नृत्य विधा। बी.एच.यू. का आगे का मामला यह है कि नृत्य विभाग में अध्यापन कार्य कराने का कोई वर्गीकरण नहीं है।
17. यह आगे कथन किया गया है कि अपीलार्थी को आरंभ में नृत्य के सह आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। चूंकि, नृत्य के सभी विशिष्ट क्षेत्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम है, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 6 और अपीलार्थी उस विशेष सेमेस्टर में विशेष रूप से कथक नृत्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की कक्षाएं संचालित कर रही थीं, जो केवल कथक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे नृत्य के अन्य क्षेत्रों में भी कक्षाएं ले सकती हैं।

18. यह भी कथन किया गया है कि कुलपति ने बी.एच.यू. अधिनियम, 1915 (जिसे इसके पश्चात 'अधिनियम, 1915' कहा गया है) की धारा 7ग(5) के प्रावधानों के अनुसार अपने द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से तीन विशेषज्ञों को नामित किया।
19. अपीलार्थी ने बी.एच.यू. के प्रतिशपथ-पत्र के जवाब में प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दाखिल किया, जिसमें प्रतिशपथ-पत्र में किए गए अभिकथनों से इनकार किया गया।
20. प्रत्यर्थी संख्या 6 ने भी एक प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि उसने बाहरी विशेषज्ञों को चुनने की कोई भूमिका नहीं निभाई क्योंकि डी.पी.पी.सी. की समिति के अन्य सदस्य भी थे और सभी सदस्यों ने विशेषज्ञों की सूची का चयन किया, जिस पर बी.एच.यू. के मंच कला संकाय के संकायाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें आगे यह कथन किया गया है कि विशेषज्ञों का अंतिम चयन, चयन समिति के अध्यक्ष अर्थात् कुलपति के हाथों में था। प्रत्यर्थी संख्या 6 ने इस बात से इनकार किया कि बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने या उसे अंतिम रूप देने में उसकी कोई भूमिका थी।
21. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत कुलपति के पास आपात स्थिति में चयन समिति को नामित करने की शक्ति है। उन्होंने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि शिक्षा मंत्रालय से पत्र दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



06.01.2023 के माध्यम से निदेश प्राप्त होने के पश्चात कुलपति द्वारा चयन समिति का गठन किया गया था।

22. अपीलार्थी के इस तर्क पर कि कुलपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ कथक नृत्य के क्षेत्र के नहीं थे, जबकि पद नृत्य विभाग में कथक नृत्य के विषय का है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्वयं अपीलार्थी को कथक या भरतनाट्यम में किसी विशेषज्ञता के बिना नृत्य विभाग में सह आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए, कैरियर प्रोन्नति योजना के अंतर्गत, बाहरी विशेषज्ञों के कथक का विशेषज्ञ होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फलतः, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त आधार पर दूसरे तर्क को भी खारिज कर दिया गया।

23. जहाँ तक अपीलार्थी के इस तर्क का प्रश्न है कि बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने में प्रत्यर्थी संख्या 6 की मुख्य भूमिका (निमित्त) थी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूँकि कुलपति ने 20 बाहरी विशेषज्ञों की सूची में से बाहरी विशेषज्ञों का चयन किया है, इसलिए केवल इस कारण से कि बाहरी विशेषज्ञों की सूची प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा अग्रणी की गई थी, चयन समिति के गठन को दूषित नहीं कहा जा सकता है।

24. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में विधिक त्रुटि की है कि कुलपति विशेषज्ञों के पैनल की नियुक्ति हेतु अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति का प्रयोग कर सकते थे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने यह निवेदन प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अनुसार कुलपति के निर्णय का अनुसमर्थन (पुष्टि) कार्यपरिषद द्वारा अगली बैठक में किया जाना होता है, और चूँकि वर्तमान मामले में कार्यपरिषद अस्तित्व में ही नहीं थी, इसलिए विशेषज्ञों का पैनल नियुक्त करने का कुलपति का कृत्य अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के प्राविधानों के बाहर (अधिकार-तीत) है।

25. उन्होंने आगे यह दलील प्रस्तुत की कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें कुलपति द्वारा अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता हो, क्योंकि 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत कोई पद नहीं होता है और यह केवल उस पद का उन्नयन (अपग्रेडेशन) होता है जिस पर अभ्यर्थी कार्य कर रहा है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत पदोन्नति अभ्यर्थी के लिए वैयक्तिक (व्यक्तिगत) होती है और पदोन्नति अभ्यर्थी की पात्रता की तिथि से दी जाती है, जो कि प्रत्यर्थी संख्या 6 के पदोन्नति आदेश से भी स्पष्ट है कि उसे दिनांक 30.09.2018 से 'कैरियर प्रोन्नति योजना' का लाभ प्रदान किया गया है, इसलिए वर्तमान मामले में कुलपति के लिए अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की कोई अत्यावश्यकता नहीं थी।

26. उन्होंने निवेदन प्रस्तुत किया कि बी.एच.यू. के परिनियम का परिनियम 11क 'नीति एवं योजना समिति' के गठन का प्रावधान करता है। अपीलार्थी का मामला परिनियम 11क के खंड (1)(ख) और (3)(ड) के अंतर्गत आता है। उन्होंने निवेदन प्रस्तुत किया कि परिनियम 11क का खंड (1)(ख) छोटे विभाग के लिए 'नीति एवं योजना समिति' (पी.पी.सी.) के गठन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का प्रावधान करता है, और खंड (3)(ड) यह प्रावधान करता है कि पी.पी.सी. के 'विचारार्थ विषय' (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) कुलपति को विशेषज्ञों की एक सूची की अनुशंसा करना होगा, जिसे वे (कुलपति) कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए कार्यपरिषद की उपस्थिति दो कारणों से आवश्यक है; पहला विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन करने के लिए और दूसरा बाहरी पैनल के विशेषज्ञों की नियुक्ति करने के लिए।

27. तदनुसार, यह दलील प्रस्तुत की गई है कि बी.एच.यू. में कार्यपरिषद के अभाव में, बी.एच.यू. के प्रथम परिनियम के परिनियम 27 के दृष्टिगत चयन समिति का गठन और विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति विधि-विरुद्ध है। इस संबंध में, उन्होंने **गौहाटी विश्वविद्यालय और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य, 2017 (5) गौहाटी लॉ रिपोर्ट्स 427** के मामले में पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

28. उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकालने में विधिक त्रुटि की है कि नियुक्ति मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में कथक या भरतनाट्यम में किसी विशेषज्ञता को विनिर्दिष्ट किए बिना की जा रही है, क्योंकि 'नृत्य' जैसा कोई सामान्य (जेनेरिक) विषय अस्तित्व में ही नहीं है।

29. उन्होंने तर्क दिया कि नृत्य विभाग में केवल दो नृत्य विधाएँ अर्थात् कथक और भरतनाट्यम पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बी.एच.यू. में सह आचार्य के रूप में नियुक्ति से पूर्व, अपीलार्थी ने पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में कथक में प्रवक्ता के रूप में कार्य किया था, और बी.एच.यू. के नृत्य विभाग में सह आचार्य के रूप में नियुक्ति के पश्चात, अपीलार्थी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथक का अध्यापन करा रही हैं। उन्होंने आगे यह निवेदन प्रस्तुत किया कि चूँकि, नियुक्ति कथक विधा में आचार्य के पद पर की गई है, इसलिए पैनल के विशेषज्ञ कथक विधा से ही होने चाहिए थे।

30. उन्होंने निवेदन प्रस्तुत किया कि चयन हेतु गठित चयन समिति विधि-विरुद्ध थी, क्योंकि तीन विशेषज्ञों में से दो विशेषज्ञ अर्थात डॉ. आरती एच. शेटी और डॉ. उमा रेले भरतनाट्यम की मर्मज्ञ (विशेषज्ञ) थीं और उनके पास कथक नृत्य में कोई शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन अनुभव या विशेषज्ञता नहीं थी।

31. उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ तक चयन समिति के तीसरे सदस्य अर्थात डॉ. कमलिनी अस्थाना का प्रश्न है, वे चयन समिति की सदस्य होने के लिए इस कारण से पात्र नहीं थीं क्योंकि न तो यह ज्ञात है कि उनके पास कथक में कोई शैक्षणिक योग्यता है और न ही वे आचार्य के पद पर या उसके समकक्ष किसी पद पर आसीन थीं, जो कि संयुक्त कुलसचिव (भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ) के पत्र (संसूचना) दिनांक 03.07.2023 में विनिर्दिष्ट एक आज्ञापक (अनिवार्य) शर्त थी।

32. इस संबंध में उन्होंने डॉ. त्रिलोकी नाथ सिंह बनाम डॉ. भगवान दीन मिश्र और अन्य, 1990 (4) एस.सी.सी. 510 तथा डॉ. (श्रीमती) कल्पना सिन्हा बनाम भारत संघ और अन्य, 2015 एस.सी.सी. ऑनलाइन पटना 5269 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



33. उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट-ए संख्या 12176 वर्ष 2024 में पारित **डॉ. मोनिका बंसल बनाम भारत संघ और अन्य** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा (अवलंब) व्यक्त करने में विधिक त्रुटि की है।
34. उन्होंने अंत में यह तर्क दिया कि चयन समिति इस कारण से दूषित है कि प्रत्यर्थी संख्या 6, जो स्वयं एक आवेदक और अभ्यर्थी थीं, बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने में मुख्य भूमिका (निमित्त) में थीं। यह तर्क दिया गया है कि यह पक्षपात का मामला है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 6 स्वीकृत रूप से विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने में शामिल थीं, और उन्होंने विशेषज्ञों की सूची कुलपति को अग्रेषित की थी। इस संबंध में, उन्होंने **ए.के. क्राइपक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 1969 (2) एस.सी.सी. 262** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है।
35. उपरोक्त निवेदनों (दलीलों) का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकालने में विस्तृत कारण दिए हैं कि कुलपति ने अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियों का सही रूप से प्रयोग किया है, जो अनियंत्रित (निरंकुश) नहीं हैं बल्कि नियंत्रण और संतुलन के अधीन हैं।
36. उन्होंने निवेदन प्रस्तुत किया कि यदि कुलपति अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करने की राय (अभिमत) बनाते हैं, तो कुलपति अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपातकालीन शक्ति के प्रयोग में चयन समिति का गठन करने के लिए पूर्णतः अपने अधिकार के अंतर्गत हैं, और कुलपति का निर्णय अगली बैठक में कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है। उन्होंने निवेदन प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने रिट-ए संख्या 18332 वर्ष 2023 में कुलपति को 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत याची को पदोन्नत करने हेतु चयन समिति का गठन करने के लिए अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने का एक निदेश जारी किया है। उन्होंने आगे यह निवेदन प्रस्तुत किया कि रिट-ए संख्या 18332 वर्ष 2023 में पारित निर्णय की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा विशेष अपील संख्या 788 वर्ष 2024 में की गई है, और इसलिए, चयन समिति का गठन करने और चयन को अंतिम रूप देने के लिए अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने में कुलपति द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है।

37. जहाँ तक चयन समिति के गठन का प्रश्न है, उन्होंने निवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को विज्ञापन संख्या 07/2014-15 के अनुसरण में पद कोड 2730 वाले मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में सह आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया है, और चूँकि, जिस पद पर याची को सह आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था, उस पद के सामने (विरुद्ध) किसी विनिर्देश/विशेषज्ञता का उल्लेख नहीं था, इसलिए चयन समिति के गठन में कोई अवैधता नहीं है क्योंकि अपीलार्थी की नियुक्ति मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में है।

38. उन्होंने निवेदन प्रस्तुत किया कि नृत्य विभाग में विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं जिन्हें अपीलार्थी को पढ़ाना होता है, और कथक अन्य विषयों में से एक विषय है जिसे अपीलार्थी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को पढ़ाना होता है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि चयन समिति के सदस्य कथक विधा के ही हों।

39. उन्होंने तर्क दिया कि भरतनाट्यम में विशेषज्ञता रखने वाली आचार्य डॉ. उमा रेले ने सह आचार्य के रूप में चयन के दौरान अपीलार्थी का साक्षात्कार लिया था, इसलिए अपीलार्थी का यह तर्क कि चयन समिति में कथक विधा के विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए, भ्रांतिपूर्ण है और विधि में पोषणीय नहीं है। इस संबंध में, उन्होंने डॉ. मोनिका बंसल (पूर्वोक्त) के मामले में पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

40. अंत में, उन्होंने यह तर्क दिया कि केवल इस कारण से कि प्रत्यर्थी संख्या 6 ने पैनल के विशेषज्ञों के नाम कुलपति को अग्रेषित किए थे, चयन कार्यवाही दूषित नहीं होगी क्योंकि विशेषज्ञों का पैनल डी.पी.पी.सी. द्वारा चयनित किया जाता है, इसलिए इस संबंध में अपीलार्थी का तर्क भी भ्रांतिपूर्ण है। इस संबंध में, उन्होंने याचिकाओं के समूह, जिसमें अग्रणी रिट-ए संख्या 19427 वर्ष 2023 (प्रो. (डॉ.) मुजाहिद बेग बनाम भारत संघ और अन्य) है, में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

41. प्रत्यर्थी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव का कथन है कि वे भी विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को अपनाते हैं। हालाँकि, वे निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी के आचरण के कारण वर्तमान मामले में विबंध (एस्तोपेल) के सिद्धांत लागू होंगे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



42. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी निवेदनों (दलीलों) पर विचार किया है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

43. तथ्यों का ऊपर पहले ही वर्णन किया जा चुका है, इसलिए निर्णय को अनावश्यक रूप से बोझिल न करने के उद्देश्य से उनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है। तदनुसार, हम संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों का विवेचन करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

44. अब अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस पहले तर्क पर आते हुए कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ कुलपति को अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था, अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) को यहाँ उद्धृत करना उपयुक्त होगा:-

"7ग. कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य।

(1)...

(2)...

(3)...

(4)...

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(5) यदि, कुलपति की राय में, कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तत्काल कार्यवाही की जाना आवश्यक है, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही करेंगे जिसे वे आवश्यक समझें और अगली बैठक में उस प्राधिकारी को अनुमोदनार्थ उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो सामान्य अनुक्रम में उस मामले पर विचार करता:

परंतु यदि कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है, तो वे (कुलपति) मामले को कुलाध्यक्ष (विजिटर) को निर्देशित कर सकते हैं, जिनका उस पर विनिश्चय (निर्णय) अंतिम होगा:

परंतु यह और कि, जहाँ कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी कार्यवाही की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कार्यपरिषद के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जाएंगी।"

45. अब, वर्तमान मामले में विचारार्थ उत्पन्न होने वाला प्रश्न यह है कि क्या कुलपति द्वारा बनाई गई यह राय (अभिमत) कि वर्तमान मामले में कोई ऐसी आपात स्थिति विद्यमान है जिसमें कुलपति की आपातकालीन शक्ति का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, तथा क्या आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करने का कुलपति का विनिश्चय (निर्णय) अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



46. यह विवादित नहीं है कि बी.एच.यू. में पिछले दो वर्षों से कार्यपरिषद अस्तित्व में नहीं है। यह भी विवादित नहीं है कि चयन 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के लाभ प्रदान किए जाने हेतु आयोजित किया गया था। 'कैरियर प्रोन्नति योजना' में कोई पद नहीं होता है, और यह केवल उस पद का उन्नयन (अपग्रेडेशन) होता है जिस पर कोई अभ्यर्थी कार्य कर रहा है तथा अभ्यर्थी को उसकी पात्रता की तिथि से पदोन्नत किया जाएगा। उक्त तथ्य प्रत्यर्थी संख्या 6 के पदोन्नति आदेश से भी स्पष्ट है जो यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 को दिनांक 30.09.2018 के प्रभाव से पदोन्नत किया गया है। अतः 'कैरियर प्रोन्नति योजना' का लाभ प्रदान करने में हुआ विलंब, 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र अभ्यर्थी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

47. परिनियम के साथ-साथ अध्यादेश यह प्रावधान करता है कि कुलपति विशेषज्ञों के पैनल की सूची प्राप्त होने के पश्चात, उसे उसके अनुमोदनार्थ कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त, बाहरी पैनल के विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु कार्यपरिषद का अनुमोदन आवश्यक है।

48. बी.एच.यू. का परिनियम 11क 'नीति एवं योजना समिति' (पी.पी.सी.) के गठन को विहित करता है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"11क. नीति एवं योजना समिति

(1) नीति एवं योजना समिति (पी.पी.सी.) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) बड़े विभाग के लिए (जिसमें दस या उससे अधिक शिक्षक हों):

(i) विभाग के दो वरिष्ठतम शिक्षक;

(ii) वर्तमान विभागाध्यक्ष (संयोजक);

(iii) निवृत्तमान विभागाध्यक्ष, जो वर्तमान विभागाध्यक्ष से पूर्व रहे हों;

(iv) वह शिक्षक जिसके वर्तमान विभागाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात अगले विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की संभावना हो;

(ख) छोटे विभाग के लिए (जिसमें दस से कम शिक्षक हों):

(i) निवृत्तमान विभागाध्यक्ष, जो वर्तमान विभागाध्यक्ष से पूर्व रहे हों;

(ii) वर्तमान विभागाध्यक्ष (संयोजक);

(iii) वह शिक्षक जिसके वर्तमान विभागाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात अगले विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की संभावना हो।

टिप्पणी 1: 'उच्च अध्ययन केंद्र' / 'विशेष सहायता कार्यक्रम' आदि के कार्यक्रम समन्वयक को पी.पी.सी. में शामिल किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



टिप्पणी 2: जब कभी 'नीति एवं योजना समिति' की संरचना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षक उपलब्ध न हों या अपात्रता के कारण उपलब्ध न हों, तो कुलपति संकाय के किसी भी शिक्षक को नामित कर सकते हैं।

टिप्पणी 3: उपरोक्त (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट विभागों के लिए-चिकित्सा विज्ञान संस्थान को अति-विशेषज्ञताओं (सुपर-स्पेशियलिटीज) में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

(2) विभागाध्यक्ष 'पी.पी.सी.' से परामर्श करेंगे और 'पी.पी.सी.' द्वारा विनिश्चय (निर्णय) लिए जाने के पश्चात ही कार्यवाही करेंगे।

(3) पी.पी.सी. के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) निम्नलिखित होंगे:

(क) निरंतरता और स्थिरता तथा निरंतर एवं सुसंगत विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन सभी नीतिगत मामलों में विनिश्चय लेना जो विभाग के दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करते हैं;

(ख) पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों और अन्य विकास योजनाओं को तैयार करना और उन्हें अंतिम रूप देना;

(ग) विकास और अनुसंधान के लिए प्रमुख क्षेत्रों (थ्रस्ट एरियाज) का चयन करना;

(घ) विज्ञापित किए जाने वाले पदों के लिए अर्हताएं (योग्यताएं) तैयार करना, जिसमें विशेषज्ञताओं को, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट करना शामिल है;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ड) कुलपति को विशेषज्ञों की एक सूची की अनुशंसा करना जिसे वे (कुलपति) कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं;

(च) पूंजीगत अनुदानों (कैपिटल ग्रांट्स) में से क्रय किए जाने वाले उपकरणों और विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं को उनके आवंटन को अंतिम रूप देना;

(छ) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, विभागीय गतिविधियों, उपलब्धियों और अन्य सांख्यिकीय आंकड़ों के संबंध में अद्यतन जानकारी बनाए रखना; और

(ज) अनुशासन और विभाग के सुचारु संचालन से संबंधित सभी मामलों पर नीतिगत विनिश्चय लेना।

टिप्पणी: विभागों की 'नीति एवं योजना समिति' के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए, विभागाध्यक्षों द्वारा नीति एवं योजना संबंधी मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों को भेजी जाने वाली सभी अनुशंसाओं के साथ, की गई अनुशंसाओं के संबंध में संबंधित 'नीति एवं योजना समिति' द्वारा पारित संकल्प (प्रस्ताव) की एक प्रति संलग्न की जाए।"

49. अधिनियम, 1915 और परिनियमों के परिनियम 27(2) के प्रावधानों के अंतर्गत विद्यापरिषद द्वारा शिक्षण पद घोषित किए गए आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के पदों तथा ऐसे अन्य पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अनुशंसाएं करने में चयन समिति द्वारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने वाले अध्यादेश का खंड-4, चयन समिति में कार्य करने हेतु विशेषज्ञ सदस्यों के नामांकन का प्रावधान करता है।

50. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे के अनुसार, वर्तमान मामले में परिनियम 11क(1)

(ख) प्रयोज्य (लागू) है और उक्त परिनियम का अवलंब लेते हुए, वे यह तर्क देते हैं कि पी.पी.सी. में उक्त परिनियम के (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित व्यक्ति शामिल होंगे। वे आगे यह निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि परिनियम 11क(3)(ड) के अनुसार, पी.पी.सी. के विचारार्थ विषय कुलपति को विशेषज्ञों की एक सूची की अनुशंसा करना होगा, जिसे वे (कुलपति) कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

51. उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि अध्यादेश का खंड 4(क) कुलपति के लिए यह आज्ञापक (अनिवार्य) बनाता है कि वे विभागों की पी.पी.सी. द्वारा अनुशंसित और अन्य स्रोतों से एकत्रित सभी विषयों (विधाओं) के विशेषज्ञ सदस्यों की सूची को विचार एवं अनुमोदनार्थ कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि अध्यादेश का खंड 4(ख) कुलपति पर यह बाध्यकारी बनाता है कि वे सामान्यतः चयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु विशेषज्ञों को कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित नामिका (पैनल) से ही आमंत्रित करें, और यदि कुलपति यह पाते हैं कि कोई विशेष अत्यावश्यकता है, तो वे नामिका (पैनल) में नए नाम जोड़ सकते हैं और उसकी संसूचना (रिपोर्ट) कार्यपरिषद को दे सकते हैं।

52. बी.एच.यू. द्वारा दाखिल किए गए प्रतिशपथ-पत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अधिसूचना दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में, बी.एच.यू. के मंच कला संकाय के नृत्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विभाग के विभागाध्यक्ष ने नियमानुसार अपनी डी.पी.पी.सी. के माध्यम से बाहरी विशेषज्ञों के नाम उपलब्ध कराए थे, तत्पश्चात कुलपति ने अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के प्रावधानों के अंतर्गत अपने द्वारा अनुमोदित नामों की नामिका (पैनल) में से तीन विशेषज्ञों को नामित किया। इस संबंध में, बी.एच.यू. द्वारा दाखिल किए गए प्रतिशपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 17 और 18 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"17. यह कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 29 की अंतर्वस्तु (कथन) जिस रूप में अभिकथित है, वह स्वीकार्य नहीं है, अतः उससे इनकार किया जाता है। इसके उत्तर में यह कथन किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मंच कला संकाय के नृत्य विभाग के विभागाध्यक्ष ने नियमानुसार अपनी 'विभागीय नीति योजना समिति' के माध्यम से बाहरी विशेषज्ञों के नाम उपलब्ध कराए थे। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के प्रावधानों के अनुसार अपने द्वारा अनुमोदित नामों की नामिका (पैनल) में से तीन विशेषज्ञों को नामित किया।

18. यह कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 30 और 31 की अंतर्वस्तु (कथन) जिस रूप में अभिकथित है, वह स्वीकार्य नहीं है। इसके उत्तर में यह कथन किया जाता है कि मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में तीन बाहरी विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत उनमें निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए नामित किया गया था। सीधी भर्ती के अंतर्गत सहायक आचार्य (शैक्षणिक स्तर-10) और सह आचार्य (शैक्षणिक स्तर-13ए) के पद के लिए तथा साथ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ही 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत आचार्य (शैक्षणिक स्तर-14) के रूप में पदोन्नति हेतु साक्षात्कार तदनुसार आयोजित किया गया था। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, जिनमें मंच कला संकाय का नृत्य विभाग भी शामिल है, के लिए 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत पदोन्नति के संबंध में चयन समिति की अनुशंसा अभी भी सीलबंद लिफाफे (कवर) में रखी है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कुलपति ने 'नृत्य' विषय के अंतर्गत सीधी भर्ती के साथ-साथ 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत पदोन्नति हेतु तीन बाहरी विशेषज्ञों को नामित किया है।"

53. अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) का परिशीलन यह दर्शाता है कि कुलपति को यह राय (अभिमत) बनानी होती है कि आपात स्थिति ऐसी है जिसमें तत्काल कार्यवाही की जाना आवश्यक है।

54. अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जो यह दर्शाए कि अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए, कुलपति द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर कोई ऐसी राय (अभिमत) बनाई गई है जो यह इंगित करती हो कि अत्यावश्यकता ऐसी है जिसमें तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।

55. जहाँ तक शिक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 06.01.2023 का संबंध है, जिस पर प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के कुलपति के निर्णय का समर्थन करने हेतु अवलंब लिया गया है, दिनांक 06.01.2023 के पत्र को यहाँ उद्धृत करना उपयुक्त होगा:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 06.01.2023

सेवा में,

कुलपति

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बी.एच.यू.),

वाराणसी-221005,

उत्तर प्रदेश

विषय: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संकाय सदस्यों की पदोन्नति हेतु चयन समिति

की अनुशंसाओं वाले लिफाफों को खोलने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुझे उपरोक्त विषय पर बी.एच.यू. के पत्र संख्या वी.सी./532 दिनांक 17.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि बी.एच.यू. अधिनियम, 1915 की धारा 7(5) यह प्रावधान करती है कि:

"....यदि, कुलपति की राय में, कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तत्काल कार्यवाही की जाना आवश्यक है, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही करेंगे जिसे वे आवश्यक समझें और सामान्य अनुक्रम में उस मामले पर विचार करने वाले प्राधिकारी को अगली बैठक में उस कार्यवाही की रिपोर्ट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।"

अतः आपसे अनुरोध है कि बी.एच.यू. अधिनियम, 1915 की धारा 7(5) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

56. पत्र दिनांक 06.01.2023 के 'विषय' का परिशीलन यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों की पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, और पदोन्नति हेतु चयन समिति की अनुशंसा कुलपति के पास रखी हुई थी तथा उसे खोलने के लिए कुलपति ने सरकार से अनुमति मांगी थी। दिनांक 06.01.2023 का पत्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पत्र संख्या वी.सी./532 दिनांक 17.12.2022 के संदर्भ में लिखा गया था, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

प्रिय श्री मूर्ति,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आज की तिथि में विश्वविद्यालय में लगभग 1550 शिक्षकों (शिक्षण संकाय) की वर्तमान संख्या है। 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य के रूप में विभिन्न स्तरों पर पदोन्नतियाँ समय-समय पर शिक्षण संकाय के शैक्षणिक और अनुसंधान निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती हैं। नवंबर 2020 के महीने में तत्कालीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 48 संकाय सदस्यों की पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं। चयन समितियों की अनुशंसाएं सीलबंद लिफाफों में रखी हुई हैं।

चयन समितियों द्वारा अनुशंसित पदोन्नतियों के बावजूद, कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के अभाव में उन्हें प्रदान नहीं किया जा सका है। आप इस बात से सहमत होंगे कि दो वर्ष से अधिक समय तक पदोन्नतियों को रोके रखना संकाय के मनोबल के दृष्टिकोण से एक बड़ी चुनौती है।

उपरोक्त स्थिति तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद काफी समय से अस्तित्व में नहीं है, अतः कुलपति को पदोन्नति हेतु चयन समिति की अनुशंसाओं वाले लिफाफों को खोलने की अनुमति दी जाए ताकि विश्वविद्यालय (पदोन्नति) पत्र जारी करने में समर्थ हो सके।

सादर,

57. इस प्रक्रम पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग)

द्वारा जारी पत्र दिनांक 11.06.2001 का संदर्भ देना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्यालय जापन

विषय: सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते समय अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश:-

1. सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या तो अधिनियम या परिनियम कुलपति में कतिपय आपातकालीन शक्तियाँ निहित करते हैं। इन शक्तियों के आधार पर, कुलपतियों को तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता वाले मामलों में, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इन शक्तियों ने कुलपतियों को विश्वविद्यालय के संबंधित निकायों की बैठक होने की प्रतीक्षा किए बिना आपात स्थितियों और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने में समर्थ बनाया है। हाल ही में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ विश्वविद्यालयों में इस शक्ति का प्रयोग एक नैतिक (रूटीन) मामले के रूप में किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सभा (कोर्ट), कार्यपरिषद और विद्यापरिषद आदि जैसे सांविधिक निकायों से कुलपतियों द्वारा उनकी ओर से की गई कार्यवाही का अनुमोदन करने के लिए निरंतर अधिक कहा जा रहा है। ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन शक्तियों का उपयोग इन निकायों को महत्वहीन करने और उनकी बैठकों की बारंबारता को कम करने के लिए किया जा रहा है। यह एक प्रतिगामी विकास होने के कारण इस पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है जिससे सांविधिक निकाय विश्वविद्यालयों के समग्र लोकतांत्रिक प्रशासन में उनके लिए परिकल्पित अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ हो सकें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. उपरोक्त के दृष्टिगत, राष्ट्रपति ने, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष (विजिटर) के रूप में, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा अनुपालन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया है:

(i) कुलपतियों को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग संयम के साथ और केवल ऐसी आपातकालीन स्थितियों में किया जाना चाहिए जहाँ सामान्यतः ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त प्राधिकारी की निकट भविष्य में बैठक होने की संभावना न हो और समुचित निकाय के विचारार्थ किसी विनिश्चय को आस्थगित करने से गंभीर प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न होने की संभावना हो।

(ii) नैतिक (रूटीन) मामले जैसे कि शिक्षण और शैक्षणिक पदों का सृजन, उक्त पदों पर नियुक्ति, भर्ती प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना, 'योग्यता प्रोन्नति योजना' / 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत पदोन्नतियाँ, पदों का उन्नयन कर उन्हें पदधारियों के लिए वैयक्तिक बनाना, अनिवार्य रूप से उन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो सामान्यतः ऐसे मामलों में विनिश्चय लेने के लिए सशक्त हैं। ऐसे मामलों में कुलपतियों द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) परिनियमों में संशोधन करने / उन्हें बनाने / निरस्त करने जैसे नीतिगत मामले, जिनके लिए वास्तव में कुलाध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है, किसी भी स्थिति में कुलपतियों द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके विनिश्चित नहीं किए जाने चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. इस संसूचना की अंतर्वस्तु को कृपया भविष्य में सूचनार्थ, मार्गदर्शन और अनुपालन हेतु नोट कर लिया जाए।
4. यह कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
5. कृपया इस पत्र की पावती दी जाए।

58. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने पत्र दिनांक 24.09.2015 द्वारा पुनः इस बात को दोहराया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.06.2001 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना है। पत्र दिनांक 24.09.2015 का प्रासंगिक उद्धरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है:-

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय विनिश्चय लेने की प्रक्रिया में सम्यक प्रक्रिया का पालन करें और सक्षम सांविधिक प्राधिकारियों का अनुमोदन अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाए, इस मंत्रालय ने कुलपतियों द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यालय जापन संख्या एफ.3-9/97-डेस्क(यू), दिनांक 11 जून, 2001 के माध्यम से दिशा-निर्देश पहले ही परिचालित कर दिए हैं (प्रति संलग्न है)। एतद्वारा यह दोहराया जाता है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से और अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी विनिश्चय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियमों/परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विश्वविद्यालय के संबंधित सक्षम सांविधिक निकायों के अनुमोदन से ही लिए जाएं।

4. इसके अतिरिक्त, यह जोड़ना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। विश्वविद्यालयों के सांविधिक निकायों में कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशितों (नॉमिनी) की केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समग्र कार्यकरण और सुधार में योगदान देने के अतिरिक्त पारदर्शी और निष्पक्ष विनिश्चय लेने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशित होने के नाते, यह उनका भी कर्तव्य है कि यदि कोई अनियमितता उनके संज्ञान में आती है, तो उसकी रिपोर्ट सरकार को दें। तदनुसार, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे कृपया इन अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को सूचनार्थ एवं कड़े अनुपालन हेतु सभा (कोर्ट), विद्यापरिषद, कार्यपरिषद, वित्त समिति और चयन समितियों के सभी सदस्यों के संज्ञान में लाएं तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भेजें।

59. बी.एच.यू. द्वारा दाखिल किया गया प्रतिशपथ-पत्र यह नहीं दर्शाता है कि 'कैरियर प्रोन्नति योजना' हेतु अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय, कुलपति ने पत्र दिनांक 11.06.2001 में निर्धारित तथा पैरा 2(i) और (ii) में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



60. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत पदोन्नति के संबंध में कार्यपरिषद को कई आवश्यक कृत्य सौंपे गए हैं। 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत कार्यपरिषद से निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करने की अपेक्षा की जाती है:-

- (i) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के परिनियम 27(1)(ख)(3) के अंतर्गत, कार्यपरिषद से चयन समिति से संबद्ध तीन ऐसे व्यक्तियों को नामित करने की अपेक्षा की जाती है, जिन्हें उस विषय का विशेष ज्ञान हो जिससे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति संबंधित होंगे।
- (ii) वर्ष 2010 के यू.जी.सी. विनियम (रेगुलेशन) के विनियम 5.1.2 के साथ पठित विनियम 5.1.3, "संबंधित विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों की नामिका (पैनल)" में से विशेषज्ञों के नामांकन की अपेक्षा करता है। वर्तमान मामले में विशेषज्ञ निकाय की नामिका (पैनल) का अनुमोदन करने के लिए प्रासंगिक सांविधिक निकाय 'कार्यपरिषद' है।
- (iii) अध्यादेश का खंड 4(क) कुलपति के लिए यह आज्ञापक (अनिवार्य) बनाता है कि वे विभागों की पी.पी.सी. द्वारा अनुशंसित और अन्य स्रोतों से एकत्रित सभी विषयों (विधाओं) के विशेषज्ञ सदस्यों की सूची को विचार एवं अनुमोदनार्थ कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करें। अध्यादेश का खंड 4(ख) यह प्रावधान करता है कि कुलपति सामान्यतः चयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु विशेषज्ञों को कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित नामिका (पैनल) से ही आमंत्रित करेंगे, और विशेष अत्यावश्यकता की स्थिति में, कुलपति नामिका (पैनल) में नए नाम जोड़ने और उसकी संसूचना (रिपोर्ट) कार्यपरिषद को देने के लिए प्राधिकृत हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) कार्यपरिषद को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह चयन समिति की अनुशंसाओं को कार्यान्वित (लागू) किए जाने से पूर्व उनका अनुमोदन करे।

61. चयन प्रक्रिया में ऊपर विस्तार से बताई गई कार्यपरिषद की भूमिका को दबे-छिपे तरीके से दरकिनार (उपेक्षित) नहीं किया जा सकता है, जिससे कि उस उद्देश्य को ही विफल कर दिया जाए जिसके लिए 'कैरियर प्रोन्नति योजना' का लाभ प्रदान करने के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यपरिषद को ये कृत्य सौंपे गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने भी ऊपर उद्धृत पत्र दिनांक 11.06.2001 में दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जिनका पालन करने की कुलपति से अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय अपेक्षा की जाती है।

62. यह विधि सुस्थापित है कि जब कोई संविधि (कानून) किसी कार्य को एक विशिष्ट रीति से किए जाने की अपेक्षा करती है, तो उसे केवल उसी रीति से किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य रीति से।

63. सर्वोच्च न्यायालय ने *ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक और अन्य, 2021 (6) एस.सी.सी. 707* के मामले में अपने निर्णय के पैराग्राफ संख्या 14 में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई संविधि किसी कार्य को एक विशिष्ट रीति से किए जाने का प्रावधान करती है, तो उसे केवल उसी रीति से किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य रीति से। उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 14 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"14. इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि यदि कोई संविधि किसी कार्य को एक विशिष्ट रीति से किए जाने का प्रावधान करती है, तो उसे केवल उसी रीति से किया जाना चाहिए और किसी अन्य रीति से नहीं। अन्य मामलों के अतिरिक्त, पटना उच्च न्यायालय नियमावली के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने से संबंधित मामले में, इस न्यायालय को **चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद** के मामले में यह पता लगाने के लिए कि निर्वाचन याचिका का वैध प्रस्तुतीकरण क्या होगा, नियमों पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था और विचार करने के अनुक्रम में निम्नलिखित संप्रेक्षण (टिप्पणी) किया था: (एस.सी.सी. पृष्ठ 273, पैरा 17)

"17. यह एक सुस्थापित कल्याणकारी सिद्धांत है कि यदि कोई संविधि किसी कार्य को एक विशिष्ट रीति से किए जाने का प्रावधान करती है, तो उसे उसी रीति से किया जाना चाहिए और किसी अन्य रीति से नहीं।"

इसलिए, यदि इस कल्याणकारी सिद्धांत को परिप्रेक्ष्य में रखा जाए, तो वर्तमान मामले में, यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी में पर्याप्त शक्ति निहित है; तथापि ऐसी शक्ति संविधि के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा परिसीमित (मर्यादित) है। इस प्रकार उस शक्ति का प्रयोग केवल उसी रीति से किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर यह विधि के अंतर्गत 'सम्यक प्रक्रिया' (ड्यू प्रोसेस) का अनुपालन करने की आवश्यकता के विरुद्ध (प्रतिकूल) होगा। हमने प्राधिकृत अधिकारी की त्रुटि पाई है और उस कार्यवाही को केवल उस सीमा तक दूषित (अवैध) घोषित किया है जहाँ तक खाता फ्रीज (स्तंभित) करने से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पूर्व और उसके पश्चात विधिक आवश्यकता का पालन नहीं किया गया। इसे आरोप के गुण-दोष (मेरिट) या मामले से संबंधित किसी अन्य पहलू तथा अपीलार्थी और उसके निदेशकों के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाही पर व्यक्त की गई राय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो कि उचित कार्यवाहियों में संज्ञान लिए जाने का विषय है, यदि व्यथित पक्षकार द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाता है।"

64. इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ और अन्य बनाम महेंद्र सिंह, 2022 एस.सी.सी.**

ऑनलाइन एस.सी. 909 के मामले में पारित निर्णय के पैराग्राफ संख्या 15 से 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"15. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद** के रूप में प्रतिवेदित (रिपोर्टेड) निर्णय में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

"17. ... यह एक सुस्थापित कल्याणकारी सिद्धांत है कि यदि कोई संविधि किसी कार्य को एक विशिष्ट रीति से किए जाने का प्रावधान करती है, तो उसे उसी रीति से किया जाना चाहिए और किसी अन्य रीति से नहीं। (लाभ सहित देखें: *नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर* [(1935-36) 63 आई.ए. 372: ए.आई.आर. 1936 पी.सी. 253 (2)], *राव शिव बहादुर सिंह बनाम वी.पी. राज्य* [ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 322: 1954 एस.सी.आर. 1098], *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह* [ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 358: (1964) 1 एस.सी.डब्ल्यू.आर. 57])। *परिसीमा अवधि (पीरियड ऑफ लिमिटेशन)* को बचाने के लिए नियमों के अंतर्गत एक निर्वाचन याचिका केवल दिनांक 16-5-1995

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को अपराह्न 4.15 बजे तक (न्यायालय के कार्य के घंटों तक) खुले न्यायालय में नियम 6 (पूर्वोक्त) द्वारा विहित रीति से यथास्थिति या तो न्यायाधीश या पीठ के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती थी। तथापि, ऐसा नहीं किया गया....."

16. उक्त सिद्धांत का अनुसरण इस न्यायालय द्वारा **चेरुकुरी मणि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार** के मामले में किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"14. जहाँ विधि किसी विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी कार्य को एक विशिष्ट रीति से किए जाने को विहित करती है, तो वह विहित प्रक्रिया से विचलित हुए बिना, विधि के प्रावधानों का पालन करते हुए उसी रीति से किया जाएगा...."

17. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने **म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई (एम.सी.जी.एम.) बनाम अभिलाष लाल और ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक** के मामले में उक्त सिद्धांत का अनुसरण किया है। चूँकि विज्ञापन में आवेदन पत्र भरने की रीति और साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं को हल करने की रीति अनुध्यात (परिकल्पित) थी, इसलिए इसे उसी विहित रीति से किया जाना चाहिए था। इसलिए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिया गया यह तर्क कि समय बीत जाने के कारण, रिट याची ने उत्तर पुस्तिका को किसी भिन्न भाषा में हल किया होगा, न्यायोचित नहीं है क्योंकि भिन्न भाषा का उपयोग स्वयं ही रिट याची को न्यायिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनर्विलोकन (ज्यूडिशियल रिव्यू) की शक्ति के प्रयोग में किसी भी अनुकंपा (रियायत) से अपात्र कर देता है।"

49. हमारा यह विचार है कि **गौहाटी विश्वविद्यालय (पूर्वोक्त)** के मामले में पारित निर्णय अपीलार्थी के मामले का समर्थन करता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 5 और 6 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"5. ऊपर उद्धृत धारा 15क(1)(ख) का सामान्य पठन यह स्पष्ट करता है कि विश्वविद्यालय के आचार्यों की नियुक्ति के लिए अनुशंसाएं करने में, चयन समिति संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को, यदि वह आचार्य है, सहयोजित (को-ऑप्ट) करेगी, विभाग के एक आचार्य को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्तियों को विद्यापरिषद द्वारा अनुशंसित कम से कम पांच नामों के ऐसे पैनल में से कार्यपरिषद द्वारा नामित किया जाएगा, जिन्हें उस विषय का विशेष ज्ञान हो जिसके लिए आचार्य का चयन किया जाना है।

6. स्वीकृत रूप से, प्रस्तुत मामले में, चयन समिति का गठन अधिनियम की धारा 15क(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था, क्योंकि कार्यपरिषद द्वारा ऐसे दो व्यक्तियों के नामांकन की मांग करने के बजाय, स्वयं कुलपति ने दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित कर दिया। अधिनियम की धारा 15क(1)(ख) स्पष्ट रूप से यह उपबंधित करती है कि कुलपति को विभाग के एक आचार्य को नामित करना है, जबकि कार्यपरिषद को ऐसे दो व्यक्तियों को नामित करना है जिन्हें विषय का विशेष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ज्ञान हो। चयन प्रक्रिया में ऐसे विशेषज्ञों के भाग लेने की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चयन समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करने का प्रयास करे। धारा 15क(1)(ख) कार्यपरिषद को विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले दो व्यक्तियों को नामित करने की अपनी शक्ति कुलपति को प्रत्यायोजित (डेलीगेट) करने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए, ऐसे दो व्यक्तियों का नामांकन केवल कार्यपरिषद द्वारा ही किया जा सकता है, न कि कुलपति द्वारा। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी सांविधिक शक्ति का प्रयोग केवल उसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिस पर वह प्रदत्त की गई है, जब तक कि संविधि (कानून) स्पष्ट शब्दों द्वारा या आवश्यक विवक्षा (इम्प्लिकेशन) द्वारा प्रत्यायोजन की अनुमति न दे। धारा 15क(1)(ख) में प्रयुक्त भाषा से भी यह स्पष्ट है कि विशेषज्ञों के पैनल में से कार्यपरिषद द्वारा दो व्यक्तियों के नामांकन की आवश्यकता आज्ञापक (अनिवार्य) है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश के पैराग्राफ 31 में अकाट्य (ठोस) कारण देते हुए सही रूप से अभिनिर्धारित किया है। विधि का एक और सुस्थापित सिद्धांत है जो यह कहता है कि जब किसी कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, तो वह कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि किसी विशिष्ट कृत्य को करने की रीति किसी संविधि के अंतर्गत विहित है, तो वह कृत्य उसी रीति से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, चयन समिति के गठन में अपीलार्थियों द्वारा विधि के इस सिद्धांत का भी उल्लंघन किया गया था।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



66. यद्यपि, अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) यह अपेक्षा करती है कि कुलपति के निर्णय को अगली बैठक में उस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जो सामान्य अनुक्रम में उस मामले पर विचार करता, परंतु आपातकालीन शक्ति प्रदान करने के पीछे का आशय सामान्य शक्ति का एक अपवाद है और इसका प्रयोग अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत विहित रीति से ही किया जाना चाहिए, इसलिए, अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करने का कोई भी निर्णय लेने से पूर्व, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर कुलपति की यह राय (अभिमत) होनी चाहिए कि आपात स्थिति ऐसी है जिसमें तत्काल कार्यवाही की जाना आवश्यक है, और यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वह विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी भी अंग के हितों के लिए प्रतिकूल या हानिकारक होगी। प्रत्यर्थी ने कुलपति की ऐसी कोई राय प्रस्तुत नहीं की है कि आपात स्थिति ऐसी है कि यदि धारा 7ग(5) के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो यह विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी भी अंग के हितों के लिए प्रतिकूल या हानिकारक होगा।

67. जहाँ तक इस न्यायालय द्वारा विशेष अपील संख्या 788 वर्ष 2024 में पुष्ट किए गए डॉ. **भक्तिपुत्र रोहतम** (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, हम यह पाते हैं कि उक्त निर्णय एक भिन्न तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में सुनाया गया है, जो विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के पैराग्राफ संख्या 19 से 22 से स्पष्ट है। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय का पैराग्राफ संख्या 19 यह दर्शाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस आधार पर आगे बढ़े थे कि 'कैरियर प्रोन्नति योजना' (सी.ए.एस.) के अंतर्गत पदोन्नति चयन के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधार पर नहीं बल्कि ज्येष्ठता (वरिष्ठता) के आधार पर की जानी थी, और इसलिए, यदि कार्यपरिषद अस्तित्व में नहीं थी और कुलपति का यह विचार था कि याची के प्रपत्र मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ नामित नियत प्रकोष्ठ (असाइंड सेल) तक पहुँच चुके थे, तो नामित प्रकोष्ठ के लिए प्रपत्रों को संसाधित (प्रोसेस) करना आवश्यक था। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि कुलपति धारा 7ग(5) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग कर सकते थे और उनके पास सरकार के उस निर्णय की प्रतीक्षा करने का कोई अवसर नहीं था जिसमें कुलपति से अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत शक्ति के तात्पर्यित (कथित) प्रयोग में कार्यपरिषद की ओर से कार्य करने के लिए कहा गया हो।

68. अतः, रिट याचिका को स्वीकार करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करने वाले अपीलीय न्यायालय के निर्णय में मामले के उपरोक्त पहलू, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, पर ध्यान नहीं दिया गया और इस प्रकार वे वर्तमान मामले में प्रयोज्य (लागू) नहीं हैं।

69. इसी प्रकार, अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत कुलपति द्वारा अत्यावश्यक शक्ति के प्रयोग के मुद्दे पर अवलंबित डॉ. मोनिका बंसल (पूर्वोक्त) का निर्णय प्रत्यर्थियों को कोई सहायता नहीं पहुँचाता है क्योंकि उक्त निर्णय में भी उन प्रासंगिक मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1915 की धारा 7ग(5) के अंतर्गत कुलपति की शक्तियों के संदर्भ में नोट किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



70. अब इस प्रश्न पर आते हुए कि क्या चयन समिति में कथक के क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए, और इस कारण से चयन समिति का गठन दूषित है क्योंकि चयन समिति के तीन सदस्यों में से दो सदस्य अर्थात डॉ. आरती एच. शेटी और डॉ. उमा रेले, जिन्हें भरतनाट्यम में विशेषज्ञता प्राप्त थी और वे चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के पात्र नहीं थीं।

71. अपीलार्थी के अनुसार, 'नृत्य' जैसा कोई सामान्य (जेनेरिक) विषय नहीं है और चूँकि नियुक्ति कथक के क्षेत्र में आचार्य के पद पर थी, इसलिए चयन समिति के सदस्यों के पास कथक नृत्य में विशेषज्ञता होनी चाहिए थी, न कि नृत्य के किसी अन्य रूप (विधा) में।

72. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति मंच कला संकाय के अंतर्गत नृत्य विभाग में है और 'कैरियर प्रोन्नति योजना' भी मंच कला संकाय के नृत्य विभाग के लिए है, जिसमें कई विषय पढ़ाए जाते हैं और कथक उन विषयों में से केवल एक विषय है जिसे पढ़ाने की अपीलार्थी से भी अपेक्षा की जाती है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि चयन समिति में कथक नृत्य के विशेषज्ञ शामिल हों।

73. दिनांक 04.01.2024 को समवेत (आयोजित) हुई चयन समिति में शामिल तीन विशेषज्ञ निम्नानुसार हैं:-

"(i) डॉ. (सुश्री) उमा रेले, प्राचार्या, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय।

(ii) कमलिनी अस्थाना, पद्मश्री, कथक की मर्मज्ञ।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) डॉ. आरती एच. शेर्टी, प्रख्यात कथक वाराणसी शैली।"

74. रिट याचिका में अपीलार्थी का मामला यह है कि उपरोक्त तीनों सदस्यों में से कोई भी कथक नृत्य की विधा में आचार्य के रूप में पदोन्नति पर विचार किए जाने हेतु विशेषज्ञों के रूप में भाग लेने के लिए अर्ह (योग्य) या पात्र नहीं था। अपीलार्थी के अनुसार, डॉ. आरती एच. शेर्टी और डॉ. उमा रेले भरतनाट्यम की मर्मज्ञ हैं और उनके पास कथक नृत्य में कोई शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन अनुभव या विशेषज्ञता नहीं है।

75. जहाँ तक डॉ. कमलिनी अस्थाना का संबंध है, वे कथक नृत्य की मर्मज्ञ हैं। तथापि, यह ज्ञात नहीं है कि उनके पास कथक नृत्य में कोई शैक्षणिक योग्यता है और न ही वे आचार्य के पद पर या उसके समकक्ष किसी पद पर आसीन हैं, जैसा कि संयुक्त कुलसचिव (भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ) के पत्र (संसूचना) दिनांक 03.07.2023 में आज्ञापक (अनिवार्य) रूप से विनिर्दिष्ट किया गया था। संयुक्त कुलसचिव (भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ) द्वारा जारी पत्र दिनांक 03.07.2023 निम्नानुसार है:-

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि बी.एच.यू. परिनियमों के परिनियम 27 और यू.जी.सी.

विनियम 2018 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय में शिक्षण पदों पर

नियुक्ति/पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा करने के लिए बाहरी विषय

विशेषज्ञों को चयन समितियों से संबद्ध किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त के दृष्टिगत, मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया 'शीर्ष 20 एन.आई.आर.एफ.' रैंकिंग वाले संस्थानों या 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों' के आचार्य के स्तर से अनिम्न (नीचे के नहीं) या राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाहरी विषय विशेषज्ञों के कम से कम 20 नामों की विशेषज्ञता-वार सूची; नीचे दिए गए प्रपत्र में उनके पूर्ण संपर्क विवरण के साथ, संबंधित विभाग/स्कूल/केंद्र की संबंधित पी.पी.सी. द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कराकर दिनांक 17 जुलाई, 2023 तक या उससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित करें।

इसे कृपया **सर्वोच्च प्राथमिकता** दी जाए।

बाहरी विषय विशेषज्ञों की सूची

विभाग _____ संकाय/संस्थान: _____

क्रम सं.	विशेषज्ञ का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र	संपर्क विवरण					
			पता		दूरभाष संख्या		चलभाष संख्या	ई-डॉक पहचान
			कार्यालय	आवास	कार्यालय	आवास		

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



76. उक्त पत्र के अनुसार, विषय विशेषज्ञ शीर्ष 20 एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग वाले संस्थानों के आचार्य के स्तर से अनिम्न होने चाहिए, इसलिए, अपीलार्थी के अनुसार, डॉ. कमलिनी अस्थाना चयन समिति में विशेषज्ञ के रूप में भाग लेने के पात्र नहीं थीं। अपीलार्थी ने इस संबंध में रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 32 से 37 तक आवश्यक अभिकथन किए हैं, जिसका उत्तर बी.एच.यू. द्वारा प्रतिशपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 19 में दिया गया है।
77. बी.एच.यू. इस तथ्य से इनकार नहीं करता है कि डॉ. उमा रेले भरतनाट्यम की मर्मज्ञ हैं, हालाँकि, प्रतिशपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 19 में यह प्राख्यान (दृढ़ कथन) किया गया है कि डॉ. कमलिनी अस्थाना और डॉ. आरती एच. शेटी को कथक के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है।
78. प्रतिशपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 19 में प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के इन अभिकथनों से कि डॉ. आरती एच. शेटी कथक की विशेषज्ञ हैं, अपीलार्थी द्वारा प्रत्युत्तर शपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 6 में इनकार किया गया है। अपीलार्थी ने प्रत्युत्तर शपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 6 में इस बात को दोहराया है कि डॉ. आरती एच. शेटी की विशेषज्ञता भरतनाट्यम में है।
79. याची ने अपने इस तर्क के समर्थन में कि डॉ. आरती एच. शेटी भरतनाट्यम की मर्मज्ञ हैं, 'अमृता विद्यालयम' की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए डॉ. आरती एच. शेटी के विवरण को अभिलेख पर प्रस्तुत किया है, जो पेपर बुक में अनुलग्नक-18 के रूप में संलग्न है, परंतु बी.एच.यू. ने अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है जो यह दर्शाता हो कि डॉ. आरती एच. शेटी को कथक में भी विशेषज्ञता प्राप्त थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



80. इस प्रक्रम पर, बी.एच.यू. के प्रथम परिनियम के परिनियम 27 को उद्धृत करना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार है:-

"27 - चयन समिति:

(1)(क) आचार्य, उपाचार्य (रीडर), प्रवक्ता, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विद्यापरिषद् द्वारा शिक्षण पद घोषित किए गए ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यपरिषद् को अनुशंसाएं करने के लिए एक चयन समिति होगी।

(ख) प्रत्येक चयन समिति में कुलपति, जो उसके अध्यक्ष होंगे, तथा कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित एक व्यक्ति शामिल होगा, और इसके अतिरिक्त नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसाएं करने वाली चयन समिति में सदस्य के रूप में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं:

आचार्य	(1) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, बशर्ते कि वे आचार्य हों, सिवाय उन मामलों के जहाँ वे स्वयं आवेदक हों या जब उनके द्वारा धारित पद को
--------	--

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



	भरा जा रहा हो। (2) संबंधित विभागाध्यक्ष, बशर्ते कि वे आचार्य हों, सिवाय उन मामलों के जहाँ वे स्वयं आवेदक हों या जब उनके द्वारा धारित पद को भरा जा रहा हो। (3) कार्यपरिषद की सेवा में न रहने वाले कम से कम तीन ऐसे व्यक्ति, जिन्हें उस विषय का विशेष ज्ञान हो जिससे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति संबंधित होंगे, जिन्हें कार्यपरिषद द्वारा नामित किया जाएगा।
उपाचार्य (रीडर)/प्रवक्ता और शिक्षण पद	(1) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



	(2) संबंधित विभागाध्यक्ष; (3) विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले या कार्यपरिषद के सदस्य न होने वाले कम से कम दो ऐसे व्यक्ति, जिन्हें उस विषय का विशेष ज्ञान हो जिससे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति संबंधित होंगे, जिन्हें कार्यपरिषद द्वारा नामित किया जाएगा।
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	कार्यपरिषद के तीन सदस्य, जो उसके द्वारा नामित किए जाएंगे।
पुस्तकालयाध्यक्ष	विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले या कार्यपरिषद के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



	सदस्य न होने वाले कम से कम तीन ऐसे व्यक्ति, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान के विषय का विशेष ज्ञान हो, जिन्हें कार्यपरिषद द्वारा नामित किया जाएगा।
प्रौद्योगिकी संस्थान, चिकित्सा विज्ञान संस्थान और कृषि विज्ञान संस्थान में आचार्य, उपाचार्य और प्रवक्ता तथा अन्य शिक्षण पद	संबंधित संस्थान के निदेशक भी संबंधित पद के लिए उपरोक्त के अनुसार गठित चयन समिति के सदस्य होंगे।
महिला महाविद्यालय में आचार्य, उपाचार्य और प्रवक्ता तथा अन्य शिक्षण पद	प्राचार्या, महिला महाविद्यालय भी महिला महाविद्यालय के पद के लिए उपरोक्त के अनुसार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



	गठित चयन समिति की सदस्या होंगी।
उच्च अध्ययन केंद्र / विशेष सहायता कार्यक्रम के लिए चयनित विभागों / स्कूलों में आचार्य, उपाचार्य और प्रवक्ता	संबंधित विभागों (सी.ए.एस./एस.ए.पी. और स्कूलों) के कार्यक्रम समन्वयक भी चयन समिति के सदस्य होंगे।

(ग) परंतु चयन समिति की बैठकें कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशित (नॉमिनी) तथा उपरोक्त खंड (ख) के अंतर्गत कार्यपरिषद द्वारा नामित व्यक्तियों से पूर्व परामर्श के पश्चात और उनकी सुविधा के अधीन ही नियत की जाएंगी:

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य (वैध) नहीं होंगी जब तक कि:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) जहाँ कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशित और कार्यपरिषद द्वारा नामित व्यक्तियों की कुल संख्या चार हो, तो उनमें से कम से कम तीन बैठक में उपस्थित न हों; और

(ii) जहाँ कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशित और कार्यपरिषद द्वारा नामित व्यक्तियों की कुल संख्या तीन हो, तो उनमें से कम से कम दो बैठक में उपस्थित न हों।

(घ) परिनियम 27(1)(क) के अंतर्गत प्रावधान के होते हुए भी, कार्यपरिषद आचार्यों के 'विशेष पीठों' (स्पेशल चेयर्स) को भरने के लिए उच्च शैक्षणिक विशिष्टता, श्रेष्ठता और व्यावसायिक उपलब्धियों वाले व्यक्तियों के नामों का सुझाव देने हेतु एक 'विशेष समिति' का गठन कर सकती है।

(2) अनुशंसाएं करने में चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में निर्धारित की जाएगी।

(3) यदि कार्यपरिषद चयन समिति द्वारा की गई किसी अनुशंसा को स्वीकार करने में असमर्थ है, तो वह अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी और मामले को आदेशार्थ कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगी।"

81. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यू.जी.सी. विनियमों के विनियम 5.1.2 में प्रयुक्त 'संबंधित विषय/क्षेत्र' (कंसर्न्ड सब्जेक्ट/फील्ड) शब्द पर बल दिया है। उनके अनुसार, 'नृत्य' जैसा कोई सामान्य (जेनेरिक) विषय नहीं है, और नृत्य संकाय कथक या भरतनाट्यम में शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विज्ञापन संख्या 07/2014-15 के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुसरण में सह आचार्य के रूप में नियुक्त होने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय अपीलार्थी की अर्हताओं (योग्यताओं) को अभिलेख पर प्रस्तुत किया है।

82. उन्होंने निवेदन प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने सह आचार्य के पद के लिए आवेदन करते समय अपनी अर्हताओं का प्रकटीकरण किया है, जो यह दर्शाता है कि वह कथक नृत्य में 'संगीत प्रभाकर' की उपाधि (डिग्री), तथा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से कथक नृत्य में एम.ए. की उपाधि (सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों), कथक केंद्र, नई दिल्ली से कथक नृत्य में पोस्ट-डिप्लोमा (सैद्धांतिक और व्यावहारिक) धारित करती है। उन्होंने आगे 'अनुसंधान उपाधि' (रिसर्च डिग्री) के संबंध में अपीलार्थी के आवेदन की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है, जिसके अनुसार, उसकी विशेषज्ञता 'कथक नृत्य' में 'डॉक्टरल' है और शोध-प्रबंध (थीसिस) का शीर्षक 'कथक नृत्य के लखनऊ और जयपुर घरानों का तुलनात्मक अध्ययन' है, तथा 'पोस्ट डॉक्टरल, डी.लिट/डी.एससी.' के लिए उसकी विशेषज्ञता 'कथक नृत्य' है और शोध-प्रबंध का शीर्षक 'कथक नृत्य की तकनीकी रचनाओं पर निष्पादित गतियां; एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' है। इस प्रकार, अपीलार्थी की अर्हताओं पर विचार करते हुए, उसे कथक पढ़ाने के लिए सह आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

83. इस प्रक्रम पर, यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 को प्रवक्ता, नृत्य (कथक) के रूप में नियुक्त किया गया था, जो प्रत्यर्थी संख्या 6 के नियुक्ति पत्र दिनांक 02.11.2006 से स्पष्ट है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



84. विचारार्थ उत्पन्न होने वाला प्रश्न यह है कि क्या तीन विशेषज्ञों में से भरतनाट्यम विधा के दो विशेषज्ञों से मिलकर बनी चयन समिति एक विधिमान्य रूप से गठित चयन समिति है, जबकि यह विवादित नहीं है कि केवल दो अभ्यर्थियों अर्थात् अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 को कथक नृत्य में विशेषज्ञता प्राप्त थी। विचारार्थ आगे का विषय (मुद्दा) यह है कि क्या तीसरे विशेषज्ञ अर्थात् डॉ. कमलिनी अस्थाना चयन समिति में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में भाग लेने के पात्र थीं।

85. रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 25 में अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से (स्पष्टतः) यह कथन किया है कि अपीलार्थी के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 6 कथक नृत्य की विधा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 की अर्हता (योग्यता) भी कथक नृत्य की विशेषज्ञता में है। यह भी कथन किया गया है कि न तो अपीलार्थी और न ही प्रत्यर्थी संख्या 6 के पास भरतनाट्यम में कोई शैक्षणिक योग्यता या अनुभव था। रिट याचिका का पैराग्राफ संख्या 25 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"25. यह कि याची के साथ-साथ डॉ. विधि नागर, दोनों ही कथक नृत्य की विधा में कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। याची के साथ-साथ डॉ. विधि नागर की योग्यता और अनुभव कथक नृत्य की विशेषज्ञता में है। न तो याची और न ही डॉ. विधि नागर के पास भरतनाट्यम में कोई शैक्षणिक योग्यता या अनुभव था।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



86. रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 25 का उत्तर बी.एच.यू. द्वारा प्रतिशपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 14 में दिया गया है। प्रतिशपथ-पत्र का पैराग्राफ संख्या 14 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"14. यह कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 25 की अंतर्वस्तु (कथन), जहाँ तक यह याची से संबंधित है, जिस रूप में अभिकथित है वह स्वीकार्य नहीं है और अतः उससे इनकार किया जाता है। इसके उत्तर में यह कथन किया जाता है कि याची को कथक/भरतनाट्यम में कोई विशेषज्ञता दर्शाए बिना विज्ञापन संख्या 07/2014-2015 के विरुद्ध (पद कोड-2730) के अंतर्गत मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में सह आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था।"

87. प्रत्यर्थी संख्या 6 ने भी अपने प्रतिशपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 18 में रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 25 का उत्तर दिया है, जिसे भी नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"18. यह कि, रिट याचिका के पैरा संख्या 25 की अंतर्वस्तु (कथन) पर, जिस रूप में वे हैं, किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।"

88. रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 25 में अपीलार्थी द्वारा किए गए विशिष्ट अभिकथन, जो ऊपर उद्धृत हैं, इस तथ्य के संबंध में कि वह (अपीलार्थी) के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 6 कथक नृत्य की विधा में कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं और उन्हें कथक नृत्य में विशेषज्ञता प्राप्त है तथा उनके पास भरतनाट्यम में न तो कोई योग्यता है और न ही अनुभव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, से न तो बी.एच.यू. द्वारा और न ही प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा अपने प्रतिशपथ-पत्र में इनकार किया गया है।

89. अतः, यह विवादित नहीं है कि चयन समिति को 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत उन अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु उपयुक्तता का न्यायनिर्णयन (मूल्यांकन) करना था, जिनके पास स्वीकृत रूप से कथक नृत्य में योग्यता और विशेषज्ञता है, और जो कथक नृत्य की विधा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

90. परिनियम 27(ख) चयन समिति के गठन का प्रावधान करता है। परिनियम 27(ख) के नीचे दी गई सारणी का स्तंभ-I पद को विनिर्दिष्ट करता है और उक्त सारणी के स्तंभ-II में निर्दिष्ट व्यक्ति, स्तंभ-I में विनिर्दिष्ट पद के विरुद्ध चयन समिति के सदस्य हैं। सारणी के स्तंभ-II में पैराग्राफ (3), आचार्य के पद के विरुद्ध विहित करता है, "कम से कम तीन ऐसे व्यक्ति, जिन्हें उस विषय का विशेष ज्ञान हो जिससे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति संबंधित होंगे, जिन्हें कार्यपरिषद द्वारा नामित किया जाएगा।"

91. इस प्रकार, परिनियम यह प्रावधान करता है कि विशेषज्ञ को उस विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए जिससे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति संबंधित होंगे, जिसका तात्पर्य यह है कि विशेषज्ञ के पास उस विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए जिसमें व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है।

92. 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी द्वारा भरे गए प्रपत्र में, अपीलार्थी ने क्रम संख्या 9 और 10 पर निम्नलिखित विवरण दिए हैं:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विभाग	नृत्य
संकाय/संस्थान विभाग	मंच कला संकाय
वर्तमान पदनाम जिस पर आप कार्य कर रहे हैं	सह आचार्य, कथक नृत्य के रूप में

93. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि आवेदन पत्र में, अपीलार्थी ने अपने विभाग का विवरण 'नृत्य के रूप में और उस पदनाम का विवरण जिस पर वह कार्य कर रही है, 'सह आचार्य कथक नृत्य' के रूप में दिया है।

94. उसने प्रपत्र में क्रम संख्या 22 पर अपना विवरण पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में 'सहायक आचार्य कथक' के रूप में दिया है। 'विशेषज्ञता के क्षेत्र' के स्तंभ में, उसने 'कथक विधा' में अपनी विशेषज्ञता का उल्लेख किया है।

95. इस प्रक्रम पर, यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 को आरंभ में प्रवक्ता, नृत्य (कथक) के रूप में नियुक्त किया गया था, जो बी.एच.यू. के मंच कला संकाय में उसके नियुक्ति पत्र दिनांक 02.11.2006 से स्पष्ट है। प्रवक्ता, नृत्य (कथक) के पद पर प्रत्यर्थी संख्या 6 के नियुक्ति पत्र का प्रासंगिक उद्धरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



डॉ. (सुश्री) विधि नागर

सी-1143, इंदिरा नगर,

लखनऊ-226016

दिनांक: 2.11.2006

संदर्भ: विज्ञापन संख्या 02/2005-06 के विरुद्ध प्रवक्ता, नृत्य (कथक) के पद हेतु
आपका आवेदन।

महोदया,

दिनांक 31.10.2006 को आयोजित अपनी बैठक में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने
आपको मंच कला संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नीचे दिए गए निबंधनों
(शर्तों) पर प्रवक्ता, नृत्य (कथक) के रूप में सहर्ष नियुक्त किया है....."

96. प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर बल दिया है कि विज्ञापन संख्या 07/2014-15, जिसके अनुसरण में अपीलार्थी को सह आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था, उसने सह आचार्य के रूप में पद कोड-2730 के विरुद्ध आवेदन किया था, और पद कोड-2730 के विरुद्ध विज्ञापन में विशेषज्ञता का स्तंभ रिक्त था, जबकि पद कोड-2677 के विरुद्ध विशेषज्ञता के स्तंभ में 'भरतनाट्यम' उल्लिखित है। अतः, वे यह निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी को मंच कला संकाय के विभाग में बिना किसी विशेषज्ञता के सह आचार्य (नृत्य) के रूप में नियुक्त किया गया था। उस आधार पर, वे यह निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि जब अपीलार्थी को सह आचार्य के रूप में चयनित किया गया था, तो भरतनाट्यम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में विशेषज्ञता रखने वाली आचार्य डॉ. उमा रेले ने सह आचार्य के रूप में उसके चयन के दौरान अपीलार्थी का साक्षात्कार लिया था, और इस प्रकार, यह स्थापित होता है कि सह आचार्य के पद पर चयन हेतु साक्षात्कार बिना किसी विशेषज्ञता के नृत्य विभाग में हुआ था। इस प्रकार, वे यह निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि पद कोड-2730 के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी किसी विशिष्ट विषय से संबंधित नहीं हैं क्योंकि यह चयन बी.एच.यू. के मंच कला संकाय के नृत्य विभाग के लिए था।

97. उन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए अपीलार्थी का नियुक्ति पत्र और साथ ही कार्यपरिषद का संकल्प (प्रस्ताव) प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति बी.एच.यू. के मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में सह आचार्य के रूप में हुई थी।

98. उक्त निवेदन को बल प्रदान करने के लिए, उन्होंने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि चूँकि अपीलार्थी की नियुक्ति बिना किसी विशेषज्ञता के नृत्य विभाग में है, और यदि उसके पास कोई विशेषज्ञता है भी तो वह प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उसे बिना किसी विशेषज्ञता के मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में आचार्य के रूप में पदोन्नत किया जाना है।

99. उन्होंने यह निवेदन प्रस्तुत करने के लिए 'मंच कला स्नातक' (बी.पी.ए.) के पाठ्यक्रम को भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया है कि मंच कला संकाय का नृत्य विभाग एक संयुक्त (समग्र) विभाग है जहाँ विभिन्न विधाओं अर्थात् भरतनाट्यम, कथक और नृत्य के अन्य रूपों का अध्यापन कराया जाता है, और इस प्रकार, अपीलार्थी को बिना किसी विशेषज्ञता के नृत्य शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



100. हमने पेपर बुक के साथ संलग्न 'मंच कला स्नातक' में पढ़ाए जाने वाले विषयों के पाठ्यक्रम का परिशीलन किया है, जिसमें छात्रों को विभिन्न सेमेस्टरों में विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, उदाहरण के लिए सेमेस्टर-I में छात्रों को भरतनाट्यम का इतिहास-1, नृत्य का इतिहास-1 (सामान्य प्रश्नपत्र), नृत्य प्रयोग-1 आदि पढ़ाए जाते हैं। सेमेस्टर-II में, भरतनाट्यम का इतिहास-II, नृत्य का इतिहास-II, नृत्य प्रयोग पढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार, अन्य सेमेस्टरों में अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं।
101. यद्यपि, यह सत्य है कि 'मंच कला स्नातक' में विभिन्न सेमेस्टरों में विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, परंतु हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि मंच कला संकाय का विभाग नृत्य विधा में स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) पाठ्यक्रमों में भी शिक्षा प्रदान करता है और 'स्नातकोत्तर सूचना विवरणिका वर्ष 2022' के अनुसार नृत्य कथक/भरतनाट्यम में 'मंच कला स्नातकोत्तर' (एम.पी.ए.) के नाम से एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विहित अर्हता यह है कि अभ्यर्थियों के पास भारतीय शास्त्रीय नृत्य (कथक/भरतनाट्यम) की नृत्य विधा में 'संगीत स्नातक' (बी.म्यूजिक) / 'मंच कला स्नातक' (बी.पी.ए.) की उपाधि होनी चाहिए।
102. इसी प्रकार, बी.एच.यू. 'मंच कला स्नातकोत्तर नृत्य (कथक)' और 'मंच कला स्नातकोत्तर भरतनाट्यम' में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर रहा है। बी.एच.यू. विशिष्ट (विशेषज्ञता प्राप्त) विषय कथक में 'मंच कला स्नातक' की उपाधि प्रदान कर रहा है, स्नातकोत्तर के साथ-साथ 'मंच कला स्नातक' के संबंध में विभिन्न छात्रों के अंकपत्र अपीलार्थी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा रिट याचिका के साथ संलग्न किए गए हैं। अपीलार्थी ने इस संबंध में पैराग्राफ संख्या 47 से 49 में कथन प्रस्तुत किए हैं, जो नीचे उद्धृत हैं:

"47. यह कि नृत्य विभाग में जो उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं, वे मंच कला में स्नातक उपाधि और मंच कला में उपाधि हैं। ऐसी प्रत्येक उपाधि या तो कथक नृत्य या भरतनाट्यम नृत्य के संदर्भ में प्रदान की जाती है और एक विषय के रूप में 'नृत्य' के लिए सामान्य रूप से कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाती है। उपरोक्त के समर्थन में याची 'मंच कला स्नातक' और 'मंच कला स्नातकोत्तर' तथा साथ ही डॉक्टरेट की उपाधि से संबंधित कुछ अंकपत्रों/उपाधियों को सामूहिक रूप से इस रिट याचिका के अनुलग्नक 21 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत करती है। इस प्रकार प्रदान की गई विभिन्न उपाधियों का परिशीलन यह प्रदर्शित करेगा कि ऐसी प्रत्येक उपाधि या तो कथक में है या भरतनाट्यम नृत्य में है।

48. यह कि याची इस रिट याचिका के अनुलग्नक 22 के रूप में 'स्नातकोत्तर सूचना विवरणिका वर्ष 2022' के प्रासंगिक उद्धरण को भी अभिलेख पर प्रस्तुत करती है।

49. यह कि उपरोक्त सूचना विवरणिका का खंड 3.1.12(ख) यह प्रदर्शित करेगा कि विश्वविद्यालय या तो कथक नृत्य में या भरतनाट्यम नृत्य में 'मंच कला में स्नातकोत्तर उपाधि' प्रदान कर रहा है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



103. पैराग्राफ संख्या 47 से 49 का उत्तर बी.एच.यू. द्वारा अपने प्रतिशपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 24 में तथा प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा अपने प्रतिशपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 33 में दिया गया है।

104. बी.एच.यू. के प्रतिशपथ-पत्र का पैराग्राफ संख्या 24 और प्रत्यर्थी संख्या 6 के प्रतिशपथ-पत्र का पैराग्राफ संख्या 33 क्रमशः नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"24. यह कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 47, 48, 49 की अंतर्वस्तु (कथन) जिस रूप में अभिकथित है वह स्वीकार्य नहीं है। यह आगे निवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नृत्य विभाग है और याची को कथक या भरतनाट्यम नृत्य में किसी विशेषज्ञता के बिना मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में सह आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यह आगे कथन किया जाता है कि सभी पाठ्यक्रमों अर्थात् भरतनाट्यम, कथक या किसी अन्य नृत्य पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यविवरण (सिलेबस) एक समान है। यह पाठ्यविवरण नृत्य शिक्षक द्वारा उनकी विशेषज्ञता पर विचार किए बिना पढ़ाया जाना है।"

"33. यह कि, रिट याचिका के पैरा संख्या 47, 48 और 49 की अंतर्वस्तु (कथन) से, जिस रूप में वे हैं, भ्रान्तिपूर्ण और असत्य (गलत) होने के कारण इनकार किया जाता है। इसके उत्तर में यह निवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि पाठ्यक्रमों का पाठ्यविवरण चाहे वह भरतनाट्यम हो या कथक नृत्य, एक समान है। यह पाठ्यविवरण नृत्य शिक्षक द्वारा उसकी विशेषज्ञता पर विचार किए बिना पढ़ाया जाना है और उक्त तथ्य मंच

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कला संकाय के नृत्य विभाग में याची की कथक या भरतनाट्यम नृत्य में किसी विशेषज्ञता के बिना सह आचार्य के रूप में नियुक्ति से भी सिद्ध होता है, अतः कथक या भरतनाट्यम नृत्य में उपाधि (डिग्री) प्रदान करने का यह अर्थ नहीं होगा कि जो व्यक्ति अध्यापन करा रहा है वह उक्त विशिष्ट नृत्य क्षेत्र में सह आचार्य का पद भी धारित करता हो।"

105. ऊपर वर्णित तथ्य यह स्थापित करते हैं कि मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में विभिन्न विधाओं के विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि उन विषयों को पढ़ाने के लिए उन विषयों के विशेषज्ञों की आवश्यकता है। रिट याचिका के साथ संलग्न विभिन्न अंकपत्र, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर के अंकपत्र शामिल हैं, तथा सूचना विवरणिका (ब्रोशर) यह स्थापित करेगी कि उपाधियां या तो कथक विधा में या भरतनाट्यम विधा में प्रदान की जा रही हैं। प्रत्यर्थी अभिलेख से यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि नृत्य विभाग में 'नृत्य' के रूप में कोई सामान्य विधा पढ़ाई जाती है।

106. अपीलार्थी का नियुक्ति पत्र दिनांक 03.10.2015 यह कथन करता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में सह आचार्य के पद पर की गई है। अतः, यह स्पष्ट है कि मंच कला संकाय में एक नृत्य विभाग है, और 'नृत्य' के नाम से कोई ऐसा विषय नहीं है जो नृत्य विभाग में पढ़ाया जा रहा हो। परंतु कथक और भरतनाट्यम नृत्य की दो विधाएं/विषय हैं जो बी.एच.यू. के मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में पढ़ाए जाते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



107. यदि हम उस संदर्भ का मूल्यांकन (समीक्षा) करें जिसमें परिनियम 27 में प्रयुक्त शब्द, "व्यक्तियों को उस विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए जिससे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति संबंधित होंगे" का प्रयोग किया गया है, तो हम निश्चितता के साथ यह कह सकते हैं कि यह निःसंदेह कार्यपरिषद द्वारा नामित उस विषय विशेषज्ञ को संदर्भित करेगा जिसे उस विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त है जिसमें व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है।
108. प्रस्तुत मामले में, दोनों अभ्यर्थी अर्थात् अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 कथक विधा में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी हैं क्योंकि उन दोनों को कथक नृत्य का विशेष ज्ञान है और चूँकि 'नृत्य' के नाम से कोई विषय नहीं है, इसलिए विषय विशेषज्ञ को 'नृत्य' के विषय में कोई विशेष ज्ञान नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि अभ्यर्थियों को उस विषय में नियुक्त किया जाना है जिसमें उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है, जो वर्तमान मामले में 'कथक' है क्योंकि दोनों अभ्यर्थियों अर्थात् अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 को कथक नृत्य में विशेषज्ञता प्राप्त है।
109. चयन समिति का उद्देश्य किसी अभ्यर्थी की उस पद के लिए उपयुक्तता का न्यायनिर्णयन (मूल्यांकन) करना है जिसके लिए उसने आवेदन किया है। यदि नियुक्ति कथक विधा में की जानी है क्योंकि दोनों अभ्यर्थियों को कथक में विशेष ज्ञान प्राप्त है, तो चयन समिति में शामिल दो विषय विशेषज्ञ अर्थात् डॉ. उमा रेले और डॉ. आरती एच. शेटी, जिन्हें भरतनाट्यम में विशेषज्ञता प्राप्त है (जो कि उक्त तथ्य अभिलेख से स्थापित है), स्पष्ट रूप से भिन्न विधा अर्थात् कथक से आने वाले दोनों अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का आकलन और न्यायनिर्णयन नहीं कर सकती हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



110. यह विधि सुस्थापित है कि किसी संविधि (कानून) की व्याख्या इस रीति से की जानी चाहिए जिससे कि संविधि के उस उद्देश्य और प्रयोजन को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है। इस प्रक्रम पर, सह आचार्य हेतु चयन समिति के गठन से संबंधित विनियम 5.1.2 तथा आचार्य के पद हेतु चयन समिति के गठन से संबंधित विनियम 5.1.3 का संदर्भ देना भी उपयोगी होगा। विनियम 5.1.2 और विनियम 5.1.3 क्रमशः नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"5.1.2. विश्वविद्यालय में सह आचार्य

(क) विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद हेतु चयन समिति की निम्नलिखित संरचना होगी:

1. कुलपति, जो चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. एक शिक्षाविद जो कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति का नामनिर्देशित (नॉमिनी) हो, जहाँ कहीं प्रयोज्य (लागू) हो।
3. संबंधित विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित 'संबंधित विषय/क्षेत्र' के तीन विशेषज्ञ।
4. संकायाध्यक्ष, जहाँ कहीं प्रयोज्य हो।
5. संबंधित विभाग/स्कूल के विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा

वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक है, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित नहीं है। कम से कम चार सदस्य, जिनमें दो बाहरी विषय विशेषज्ञ शामिल हों, गणपूर्ति (कोरम) का गठन करेंगे।

5.1.3 विश्वविद्यालय में आचार्य

विश्वविद्यालय में आचार्य के पद हेतु चयन समिति की संरचना ठीक वैसी ही (समरूप) होगी जैसी कि ऊपर दिए गए खंड 5.1.2 में सह आचार्य के पद के लिए निर्धारित की गई है।"

111. विनियम 5.1.2 यह विनिर्दिष्ट करता है कि कुलपति को 'संबंधित विषय/क्षेत्र' में तीन विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए।

112. अपीलार्थी ने डॉ. त्रिलोकी नाथ सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णय का अवलंब लिया है जिसमें हिंदी विभाग में 'भाषाविज्ञान' (लिंग्विस्टिक्स) में उपाचार्य (रीडर) के पद पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। तथापि, चयन समिति में 'हिंदी साहित्य' के विशेषज्ञ शामिल थे न कि 'भाषाविज्ञान' के, उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 14 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"14. आवश्यक अर्हताएं (योग्यताएं) निर्धारित करने वाला उपरोक्त प्रावधान यह भी दर्शाता है कि संबंधित विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की उपाधि और डॉक्टरेट एक आवश्यक अर्हता थी। जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि हिंदी विभाग में हिंदी में तीन उपाचार्यों और भाषाविज्ञान में एक उपाचार्य के लिए पदों का पृथक रूप से उल्लेख किया गया था। स्पष्टीकरण II (एक्सप्लेनेशन II) केवल ऐसे मामले में लागू हो सकता था जहाँ चयनित किए जाने वाले शिक्षक का पद एक से अधिक अध्ययन के विषयों के लिए उभयनिष्ठ (कॉमन) हो। विज्ञापन में कहीं भी यह उपबंधित नहीं था कि हिंदी विभाग में भाषाविज्ञान के एक उपाचार्य का चयन एक से अधिक अध्ययन के विषयों के लिए उभयनिष्ठ रूप से किया जाना था। केवल इस कारण से कि भाषाविज्ञान के उपाचार्य के पद की आवश्यकता हिंदी विभाग में थी, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ऐसे भाषाविज्ञान के उपाचार्य को भाषाविज्ञान के विषय के साथ-साथ हिंदी भाषा और साहित्य का विषय भी पढ़ाना था। यह भी ध्यान दिया जाए कि विश्वविद्यालय की विवरणिका (प्रोस्पेक्टस) के साथ उपरोक्त विज्ञापन का परिशीलन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि भाषाविज्ञान के उपाचार्य के पद के लिए भाषाविज्ञान के विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर (मास्टर्स) उपाधि और डॉक्टरेट की आवश्यक अर्हता होना अनिवार्य था। स्पष्टीकरण II ऐसे मामले में लागू हो सकता है जहाँ एक से अधिक अध्ययन के विषयों के लिए एक उभयनिष्ठ शिक्षक का चयन किया जाना हो और उस आकस्मिकता में यह प्रावधान करता है कि विशेषज्ञ अध्ययन के ऐसे विषयों में से किसी भी विषय का हो सकता है। हमारे समक्ष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत मामले में विज्ञापन में यह उल्लेख नहीं था कि हिंदी विभाग में भाषाविज्ञान के एक उपाचार्य का पद अध्ययन के किसी अन्य विषय के साथ उभयनिष्ठ था। इस प्रकार, हिंदी विभाग में भाषाविज्ञान के एक उपाचार्य के चयन हेतु वर्तमान मामले में 'हिंदी विषय' के सभी विशेषज्ञों की नियुक्ति पूर्णतः अनुचित और अवैध थी।"

113. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा डॉ. (श्रीमती) कल्पना सिन्हा (पूर्वोक्त) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय का और अवलंब लिया गया है, जिसमें 'अंग्रेजी' विषय में चयन हेतु चयन समिति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि चयन समिति में 'अंग्रेजी' का कोई विशेषज्ञ शामिल नहीं था।

114. उपरोक्त चुनौती का इस आधार पर प्रतिवाद (खंडन) किया गया था कि याची को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) में 'मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान' विषय में सह आचार्य के रूप में नियुक्त किया जाना था, इसलिए मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रथम परिनियम के खंड 23(5)(क) के अर्थ के अंतर्गत 'विषय' के विशेषज्ञ के रूप में माना जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 22 से 25 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"22. जैसा कि वर्तमान निर्णय के बिल्कुल आरंभिक पैराग्राफ में नोट किया गया है, परिनियमों के 'खंड 23(5)(क)' में प्रयुक्त शब्द 'विशेषज्ञ' को क्या अर्थ दिया जाना है. यही वह केंद्रीय बिंदु है जिसका एन.आई.टी., पटना के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विभाग में सी.ए.एस. के अंतर्गत ए.जी.पी. सहित आचार्य के वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान किए जाने के मामलों पर विचार करने हेतु चयन समिति के गठन के प्रयोजनार्थ वर्तमान मामले में अवधारण (निर्धारण) किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थियों की ओर से यह कथन किया गया है कि लगभग 170 विषय हैं, जो 'मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान' की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और यह पक्ष प्रस्तुत (प्रचारित) किया गया है कि इनमें से किसी भी विषय के विशेषज्ञों को चयन समिति के विशेषज्ञ-सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्यर्थियों के अनुसार, परिनियमों के खंड 23(5)(क) में 'विषय' शब्द के उल्लेख के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि 'विशेषज्ञ' का अर्थ 'विषय विशेषज्ञ' होगा, उक्त शब्द को उक्त प्रावधान में पढ़ा नहीं जा सकता है।

23. मेरी राय में, परिनियमों के खंड 23(5)(क) को उस प्रयोजन के साथ पढ़े जाने की आवश्यकता है जिसके लिए वह परिनियमों में विद्यमान है। प्रयोजन सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष है। चयन समिति के गठन का मौलिक और प्राथमिक प्रयोजन किसी पद पर भर्ती / उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति या उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति प्रदान करने तथा वर्तमान मामले में सी.ए.एस. के अंतर्गत आचार्य की श्रेणी में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु किसी संकाय सदस्य की प्रवीणता (निपुणता) और ज्ञान का मूल्यांकन एवं आकलन करना है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 14.03.2012 में अंतर्विष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप आकलन/मूल्यांकन करने के लिए चयन समिति 6 सदस्यों से मिलकर बनती है, जिनमें से दो विशेषज्ञ होने चाहिए। इस प्रकार चयन समिति का कृत्य और कर्तव्य "अनुसंधान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अध्यापन के अपने चुने हुए क्षेत्र में प्रवीणता और ज्ञान" (बल दिया गया) का आकलन करना है। इस प्रकार, किसी ऐसे सह आचार्य के मामले पर विचार करते समय, जिसका अनुसंधान का चुना हुआ क्षेत्र 'अंग्रेजी' है, इस दलील को स्वीकार करना कठिन होगा कि जिन व्यक्तियों के पास ऐसे क्षेत्र में कोई अनुभव या विशेषज्ञता नहीं है, वे फिर भी सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रोन्नति/पदोन्नति हेतु विचार किए जा रहे व्यक्ति की प्रवीणता और ज्ञान का आकलन कर सकते हैं।

24. याची की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कंठ अपने इस तर्क में सही हैं कि चयन समिति के गठन के प्रयोजनार्थ परिनियमों के खंड 23(5)(क) में प्रयुक्त शब्द 'विशेषज्ञ' का अर्थ मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान की विधा के अंतर्गत किसी भी विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, और यदि ऐसी व्याख्या दी जाती है, तो यह एक असंगत और हास्यास्पद (बेतुकी) स्थिति को उत्पन्न करेगा। 'सोद्देश्य अर्थान्वयन' (सप्रयोजन व्याख्या) संविधियों की व्याख्या करने का एक प्रभावी, सुस्वीकृत और स्थापित उपकरण है, तथा इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नुस्ली नेविल वाडिया** (पूर्वोक्त) के मामले में लागू किया गया है। **एन. कन्नादासन बनाम अजय घोस** (पूर्वोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि धाराओं को दिए गए साधारण अर्थ के परिणामस्वरूप बेतुकापन (हास्यास्पदता) और असंगति उत्पन्न होती है, तो शाब्दिक अर्थ लागू नहीं किया जाएगा तथा यह अभिनिर्धारित किया कि किसी सांविधिक प्रावधान को प्रभावी और संदर्भात्मक अर्थ देने के लिए आवश्यक होने पर न्यायालय को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपना व्याख्यात्मक उपकरण बदलना पड़ सकता है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधि का अर्थान्वयन (व्याख्या) न्याय और तर्क की कसौटियों के अनुकूल होना चाहिए। उक्त निर्णय के पैराग्राफ-55 का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"55. किसी संविधि का अर्थान्वयन (व्याख्या), जैसा कि भली-भांति ज्ञात है, न्याय और तर्क की कसौटियों के अनुकूल होना चाहिए। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी दिए गए मामले में किसी सांविधिक प्रावधान को पूर्ण और प्रभावी अर्थ देने के उद्देश्य से, कुछ शब्दों को इसमें पढ़ा (जोड़ा) जा सकता है; कुछ शब्दों को घटाया (हटाया) जा सकता है। किसी संविधि के प्रावधानों को संकुचित रूप से पढ़ा (रीड डाउन किया) जा सकता है (यद्यपि ऐसा संयम के साथ और दुर्लभ रूप से ही किया जाता है)।"

25. इसलिए, मेरी राय में, उपरोक्त प्रयोजनार्थ चयन समिति के गठन हेतु विशेषज्ञों का चयन करते समय, विषय के विशेषज्ञों को ही सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना आवश्यक था, अन्यथा, विशेषज्ञों को इसके सदस्यों के रूप में शामिल करने के साथ चयन का वास्तविक उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मुझे इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि याची मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग में सह आचार्य के रूप में कार्य कर रही थी, परंतु इसका यह अर्थ नहीं होगा कि उसे उक्त विभाग में मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ तक कि प्रत्यर्थियों का भी यह मामला नहीं है। उसे उक्त विभाग में 'अंग्रेजी' पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषय में पढ़ाए जाने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाले विषयों का उल्लेख निर्णय के पैराग्राफ-4 में किया गया है। विषयों/उप-विषयों की सूची के पठन से यह प्रतीत होगा कि याची की नियुक्ति मद संख्या (i) से (iv) के लिए थी और उसके पास उसमें उल्लिखित अन्य मदों (विषयों) को पढ़ाने का अनुभव नहीं था, जो स्थिति स्वीकृत है।"

115. जैसा कि ऊपर पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि परिनियम 27 और विनियम 5.1.2 के अनुसार, चयन समिति के गठन में विषय विशेषज्ञ से तात्पर्य उस विशेषज्ञ से है जिसे उस विषय का विशेष ज्ञान हो जिससे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति संबंधित होंगे, जो वर्तमान मामले में 'कथक' है, क्योंकि दोनों अभ्यर्थियों अर्थात् अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 के पास कथक नृत्य में योग्यताएं और विशेषज्ञता है। इसके अतिरिक्त, कथक उन नृत्य विधाओं में से एक है जिसे मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में पढ़ाया जा रहा है, उक्त तथ्य पेपर बुक के साथ संलग्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ-साथ 'मंच कला स्नातक' के विभिन्न अंकपत्रों से भी स्थापित होता है। इसलिए, हमारा यह विचार है कि चयन समिति में कथक विधा के विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए।

116. प्रत्यर्थी यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में 'नृत्य' नाम से कोई विषय है या 'नृत्य' विधा में शिक्षा प्रदान की जा रही है, और चूँकि ऐसा कोई विषय नहीं है, इसलिए 'नृत्य' में कोई विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, और विशेषज्ञ केवल या तो कथक या भरतनाट्यम के विषय में ही हो सकता है, जो विधाएं नृत्य विभाग में पढ़ाई जा रही हैं। इसलिए, प्रस्तुत मामले में, चूँकि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 के पास कथक नृत्य में योग्यता और विशेषज्ञता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि चयन कथक में आचार्य के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पद पर किया जा रहा है, और विशेषज्ञता के स्तंभ में विषय का उल्लेख वर्तमान मामले के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।

117. यदि प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए कि चूँकि चयन नृत्य विभाग में आचार्य के पद पर किया जा रहा था जहाँ नृत्य के विभिन्न रूप (विधाएं) पढ़ाए जाते हैं और अपीलार्थी से नृत्य विभाग में कोई भी विषय पढ़ाने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए भरतनाट्यम में विशेषज्ञता रखने वाली दो विशेषज्ञों अर्थात् डॉ. आरती एच. शेट्टी और डॉ. उमा रेले से मिलकर बनी चयन समिति की संरचना चयन समिति को दूषित नहीं करेगी, तो यह व्याख्या परिनियम 27 में "उस विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए जिससे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति संबंधित होंगे" शब्दों के समावेश को व्यर्थ (निष्फल) बना देगी और एक बेतुकी स्थिति (विसंगति) की ओर ले जाएगी क्योंकि परिनियम में उक्त शब्दों को शामिल करते समय परिनियम के निर्माताओं का यह आशय नहीं हो सकता था कि अन्य विषयों के विशेषज्ञ भी किसी भिन्न विधा के अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन (न्यायनिर्णयन) करने के लिए चयन समिति के सदस्य बनने के पात्र होंगे। हमारे ऐसा कहने का कारण यह है कि चयन समिति के गठन का उद्देश्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में अर्हता (योग्यता), अनुभव और क्षमता के आधार पर अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन करना है ताकि केवल सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सके। हम यह पाते हैं कि मामले के उपरोक्त पहलू पर डॉ. मोनिका बंसल (पूर्वोक्त) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया है, जिस पर प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में अत्यधिक अवलंब लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



118. हम डॉ. मोनिका बंसल (पूर्वोक्त) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष से भी सहमत नहीं हैं कि चूँकि उस मामले में याची को उसी चयन समिति द्वारा लाभ प्रदान किया गया था, जिसने याची को स्तर-14 के प्रक्रम पर पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त पाया था, इसलिए याची चयन समिति के गठन पर आपत्ति नहीं उठा सकती है। अतः, हम प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उन निवेदनों (दलीलों) को खारिज करते हैं, जिन्होंने इस आधार पर 'विबंध' (एस्तोपेल) के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया है कि सह आचार्य के रूप में अपीलार्थी की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में भरतनाट्यम की विशेषज्ञ डॉ. उमा रेले शामिल थीं, इसलिए अपीलार्थी के लिए इस प्रक्रम पर चयन समिति के गठन के संबंध में आपत्ति उठाना खुला नहीं है।
119. यह विधि में सुस्थापित है कि किसी संविधि (कानून) के विरुद्ध कोई विबंध (एस्तोपेल) नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी **कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ और अन्य, 2022 (11) एस.सी.सी. 392** के मामले में विधि के उक्त सिद्धांत को अभिकथित किया है।
120. पूर्वगामी विवेचनों के दृष्टिगत, हमारा यह विचार है कि भरतनाट्यम में विशेषज्ञता रखने वाली और कथक में कोई विशेषज्ञता न रखने वाली दो विशेषज्ञ सदस्यों अर्थात डॉ. आरती एच. शेट्टी और डॉ. उमा रेले को शामिल करना चयन समिति के गठन को दूषित (विधि-विरुद्ध) बना देगा। अतः, हम चयन समिति की तीसरी विशेषज्ञ सदस्य अर्थात डॉ. कमलिनी अस्थाना की पात्रता पर इस आधार पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं कि वे चयन समिति की सदस्य बनने के पात्र नहीं थीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



121. अब, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे द्वारा उठाए गए इस तीसरे निवेदन (दलील) पर आते हुए कि बाहरी विशेषज्ञों की सूची का तैयार किया जाना इस तथ्य के कारण दूषित है कि बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने में पक्षपात की पूर्ण संभावना थी क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 6 स्वयं भी चयन में एक आवेदक और अभ्यर्थी थी तथा बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने में मुख्य भूमिका (निमित्त) में थी, हम यह नोट कर सकते हैं कि बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने में भाग लेने के तथ्य से प्रत्यर्थियों द्वारा इनकार नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 6 ने यह कथन किया है कि विभागाध्यक्ष होने के नाते उसने बाहरी विशेषज्ञों की सूची को अग्रेषित किया था और अपीलार्थी के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 6 दोनों ही बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने में भाग लेने के पात्र थे, तथा अपीलार्थी विश्राम अवकाश के कारण बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने में शामिल नहीं हुई, इसलिए पी.पी.सी. में प्रत्यर्थी संख्या 6 के भाग लेने के कारण बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने में पक्षपात का कोई तत्व विद्यमान नहीं है।
122. इस प्रक्रम पर, ऊपर उद्धृत पी.पी.सी. की 'टिप्पणी-2' पर एक दृष्टि डालना उपयुक्त होगा। टिप्पणी-2 विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि जब कभी पी.पी.सी. की संरचना को पूर्ण करने के लिए पात्र शिक्षकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध न हो, तो कुलपति संकाय के किसी भी शिक्षक को नामित कर सकते हैं।
123. प्रत्यर्थी संख्या 6 चयन हेतु एक आवेदक और अभ्यर्थी थी, इसलिए इस बात की पूर्ण संभावना है कि नामिका (पैनल) सूची तैयार करने में प्रत्यर्थी संख्या 6 के भाग लेने के कारण बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने में पक्षपात का तत्व विद्यमान हो। यह सत्य है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पी.पी.सी. कई सदस्यों से मिलकर बनती है और विनिश्चय (निर्णय) सामूहिक रूप से लिया जाता है, परंतु वर्तमान मामले में, कुलपति के पास विभाग के किसी अन्य सदस्य को नियुक्त करने का विकल्प था, जहाँ पी.पी.सी. का सदस्य रहा कोई शिक्षक पी.पी.सी. के सदस्य के रूप में कार्य करने के पात्र नहीं है, इसलिए विशेषज्ञों के पैनल की सूची तैयार करने में पक्षपात के तत्व को समाप्त करने के लिए, कुलपति को बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने हेतु पी.पी.सी. में प्रत्यर्थी संख्या 6 के स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नियुक्त करना चाहिए था।

124. **ए.के. क्राइपक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 1969 (2) एस.सी.सी. 262**

के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ संख्या 22 और 23 को यहाँ उद्धृत करना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार हैं:-

"22. विद्वान महान्यायावादी (अटॉर्नी जनरल) द्वारा आगे यह दलील प्रस्तुत की गई कि केवल यह तथ्य कि बोर्ड का कोई एक सदस्य कुछ याचियों के प्रति पक्षपातपूर्ण था, संपूर्ण कार्यवाहियों को दूषित नहीं कर सकता। इस संबंध में उन्होंने सुमेर चंद जैन बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। उसमें न्यायालय ने इस दलील को निरस्त कर दिया था कि 'विभागीय प्रोन्नति समिति' की कार्यवाहियां इस कारण दूषित हो गई थीं क्योंकि उस समिति का एक सदस्य चयनित अभ्यर्थियों में से किसी एक के प्रति अनुकूल रुख रखता था। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या दुर्भावना (असदभाव) का अभिवाक स्थापित हुआ था। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर वह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उस अभिवाक को पुष्ट करने में असमर्थ था। उस मामले में कर्तव्य और हित के बीच किसी टकराव का कोई प्रश्न नहीं था और न ही 'विभागीय प्रोन्नति समिति' का कोई सदस्य स्वयं अपने ही मामले में निर्णायक था। जिस एकमात्र बात की शिकायत की गई थी वह यह थी कि प्रोन्नति समिति का एक सदस्य प्रतिस्पर्धियों में से किसी एक के प्रति अनुकूल रुख रखता था। जैसा कि इस मामले में पूर्व में उल्लेख किया गया है, हम आवश्यक रूप से इस प्रश्न से सरोकार रखते हैं कि क्या बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से लिया गया माना जा सकता है।

23. विद्वान महान्यायवादी के एक और तर्क पर विचार किया जाना शेष है। उन्होंने यह दलील दी कि यदि हम यह अभिनिर्धारित भी करें कि नक़ीशबंद को चयन बोर्ड के विचार-विमर्श में उस समय भाग नहीं लेना चाहिए था जब वह बसु, बेग और कौल की उपयुक्तता पर विचार कर रहा था, तो भी अन्य अधिकारियों के चयन को अपास्त (रद्द) करने का कोई आधार नहीं है। उनके अनुसार न्याय के हित में यह पर्याप्त होगा यदि हम यह निदेश दें कि बसु, बेग और कौल के मामलों पर एक ऐसे बोर्ड द्वारा पुनर्विचार किया जाए जिसके नक़ीशबंद सदस्य न हों। आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह दलील दी कि किसी भी परिस्थिति में कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों के चयन में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है। हम इनमें से किसी भी दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जैसा कि पूर्व में देखा गया है, नक़ीशबंद अधिमान (वरीयता) के क्रम में चयन सूची तैयार करने के पक्षकार थे और उन्हें सूची में नंबर 1 के रूप में दर्शाया गया है। उस सीमा तक वे निःसंदेह स्वयं अपने ही मामले में निर्णायक थे, जो एक ऐसी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिस्थिति है जो हमारी न्याय की अवधारणा के सर्वथा प्रतिकूल है। अब कनिष्ठ वेतनमान सेवा के अधिकारियों के चयन पर आते हुए, वरिष्ठ वेतनमान सेवा के साथ-साथ कनिष्ठ वेतनमान सेवा, दोनों के लिए चयन एक ही साझा स्रोत (समूह) से किए गए थे। प्रत्येक अधिकारी जिसने 8 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली थी, भले ही वह 'सहायक वन संरक्षक' का पद धारित कर रहा हो, वरिष्ठ वेतनमान सेवा के लिए चयनित होने का पात्र था। वस्तुतः कुछ 'सहायक वन संरक्षकों' को वरिष्ठ वेतनमान सेवा के लिए चयनित किया गया है। साथ ही, 8 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके कुछ अधिकारियों को कनिष्ठ वेतनमान सेवा के लिए चयनित किया गया था। अतः अधिकारियों के इन दोनों समूहों को पृथक करना संभव नहीं है।"

125. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रो. (डॉ.) मुजाहिद बेग (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय का अवलंब लिया है कि पक्षपात के मुद्दे पर अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क भ्रांतिपूर्ण है। हम यह पाते हैं कि प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंबित निर्णय प्रत्यर्थियों को कोई सहायता नहीं पहुँचाता है और वह तथ्यों के आधार पर सुभिन्न (पृथक करने योग्य) है, क्योंकि उक्त मामले में प्रो. (डॉ.) मुजाहिद बेग ने कार्यपरिषद की अध्यक्षता की थी जबकि उनकी पत्नी को कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा कुलपति के रूप में नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था। प्रो. नईमा खातून की कुलपति के रूप में नियुक्ति को दी गई चुनौती में, प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया था कि कुलपति की नियुक्ति मतों के डाले जाने पर आधारित थी, इस प्रकार यह निर्वाचन (चुनाव) का मामला था जिसमें पक्षपात का अभिवाक उपलब्ध नहीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होगा। तथापि, इस न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ संख्या 61 में यह अभिनिर्धारित किया है कि कुलपति के पद पर नियुक्ति चयन पर आधारित थी, न कि निर्वाचन पर। फलतः, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी-राज्य के इस आक्षेप (आपत्ति) को निरस्त कर दिया कि उक्त मामले में पक्षपात की अवधारणा आकर्षित नहीं होगी।

126. इस न्यायालय ने कार्यपरिषद के अध्यक्ष के रूप में नईमा खातून के पति के भाग लेने को अनुचित ठहराया (की भर्त्सना की)। तथापि, पक्षपात की अवधारणा का मूल्यांकन करने के पश्चात, इस न्यायालय का यह विचार था कि नईमा खातून के चयन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए (उसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए)।

127. वर्तमान मामले के तथ्य प्रो. (डॉ.) मुजाहिद बेग (पूर्वोक्त) के मामले के तथ्यों से इस कारण सुभिन्न (पृथक करने योग्य) हैं क्योंकि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 6 'कैरियर प्रोन्नति योजना' के अंतर्गत लाभ हेतु विचार किए जाने के लिए एक आवेदक और अभ्यर्थी थी तथा उसने बाहरी विशेषज्ञों की सूची तैयार करने में भाग लिया था और प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा अग्रेषित बाहरी विशेषज्ञों की सूची में से चुने गए विशेषज्ञ उस चयन समिति के सदस्य थे, जिसने प्रत्यर्थी संख्या 6 का चयन किया। इसलिए, चयन समिति में ऐसे विशेषज्ञ सदस्यों के भाग लेने में पक्षपात की पूर्ण संभावना है। इसलिए, हम यह पाते हैं कि चयन प्रक्रिया में पक्षपात का तत्व विद्यमान है। इस प्रकार, इस कारण से भी, हम यह पाते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 6 का चयन दूषित है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



128. प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है कि अब कार्यपरिषद का गठन कर लिया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 6 के चयन का अनुमोदन कर दिया गया है, कार्यपरिषद के संकल्प, ई.सी.आर. दिनांक 09.10.2025 की प्रति प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अनुपूरक प्रतिशपथ-पत्र के माध्यम से अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

129. तथापि, हमारा यह विचार है कि कार्यपरिषद द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6 की नियुक्ति का अनुमोदन, चयन करने में प्रत्यर्थियों द्वारा की गई अवैधता को नियमित नहीं करेगा और इसलिए, हम कार्यपरिषद के संकल्प, ई.सी.आर. दिनांक 09.10.2025 को अपास्त (रद्द) करते हैं।

130. ऊपर विस्तार से बताए गए कारणों से, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि चयन समिति का गठन विधि-विरुद्ध है, और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 6 का चयन भी विधि-विरुद्ध है। फलतः, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के साथ-साथ नृत्य विभाग, मंच कला संकाय, बी.एच.यू., वाराणसी में आचार्य के पद पर प्रत्यर्थी संख्या 6 के चयन को अपास्त (रद्द) करते हैं। हम आगे प्रत्यर्थी संख्या 3 - कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी को यह निदेश देते हैं कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने हेतु पी.पी.सी. से अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 6 को अपवर्जित (बाहर) करते हुए एक समिति का गठन करके नया चयन आयोजित करें तथा विषय विशेषज्ञ बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं रखने वाले कथक विधा के विशेषज्ञों से मिलकर बनी एक चयन समिति का गठन करें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



131. फलतः, अपील स्वीकार की जाती है तथा वाद-व्यय (खर्चे) के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

(सुधांशु चौहान, न्यायमूर्ति)

(सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

16 फरवरी, 2026

सत्यार्थ/एन.एस.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।